रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 1975/आश्विन 8, 1897
No. 2] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1975/ASVINA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

CHARTERED ACCOUNTANTS

New Delhi, the 26th September 1975

No. 48-CA(1)/75.—In pursuance of sub-section (5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the audited accounts of the Council for the year ended 31st March, 1975 is hereby published for general information.

TWENTY-SIXTH ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1975.

The Council has pleasure in presenting its 26th Annual Report for the year ended 31st March, 1975, in accordance with the provisions of Section 18(5) of the Chartered Accountants Act, 1949. The report records the salient features of the Institute's activities upto the date of this report excluding matters to which reference has already been made in the report for the preceding year.

I. THE COUNCIL

1. Members of the Council and its various Committees

The Ninth Council was constituted on 17th September, 1973. The names of the members of the Council and its Standing and other Committees as constituted at the Council meeting held in September, 1974 are given in Appendices I and II respectively.

2. **President and Vice-President**

At the meeting of the Council held in September, 1974, Shri N. C. Krishnan (Madras), who was the Vice-President in the previous year, was elected the President for a term of one year from 17th September, 1974. Shri P. M. Nariclvala (Calcutta) was elected Vice-President for a similar term.

3. **Council Meetings**

During the year, the Council held three meetings—the first on 19th and 20th July, 1974, the second on 13th and 14th September, 1974 and the third on 20th and 21st February, 1975.

II. FINANCES

1. **Accounts**

The Balance Sheet as at 31st March, 1975 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date duly audited, are appended at the end of this Report. The Income & Expenditure Account for the year shows a deficit of Rs. 10,52,469 as against the deficit of Rs. 3,31,273 disclosed in the preceding year. The major reasons for the large deficit are the increase in staff costs consequent upon the implementation of the Pay Commission's recommendations and the general increases in cost, particularly in the cost of paper. To avoid future deficits, a number of measures of internal economy have been taken and an increase of fees is proposed from April, 1976 in addition to the increase in April, 1975 which has proved wholly insufficient.

2. **Auditors**

Sarvashri P. R. Mehra and M. R. Venkataraman continued to be the Institute's auditors for the year ended 31st March, 1975.

III. MEMBERS

1. **Membership**

The number of members of the Institute on 31st March, 1975 was 15372, recording an increase of 1061 since 31st March, 1974. During the year under report, 476 Associates were enrolled as Fellows as compared to 441 in the previous year. Appendix III gives the classification of membership.

2. **Increase in fees payable by Members**

As mentioned in the last report, the fees payable by members were increased with effect from 1st April, 1975 after a lapse of more than a decade. The quantum of this increase decided in February, 1974 proved wholly inadequate in the light of subsequent increase in costs and a further increase in fees has become unavoidable. An exercise carried out on the basis of the present income and anticipated expenditure for the next five years revealed a cumulative deficit of Rs. 68.39 lakhs by the end of 1979-80, a situation which could hardly be contemplated with equanimity. In such circumstances after effecting all possible economies, there was no option but to propose a further increase in fees in order to bridge the gap between income and expenditure. The proposed revised fees effective from 1st April, 1976 are:—

	From	To
Associate members	Rs. 45·00	Rs. 70·00
Fellow members	Rs. 110·00	Rs. 150·00
Certificate of Practice	Rs. 75·00	Rs. 150·00

It has also been decided to seek an amendment of the Chartered Accountants Act for increasing the entrance fee payable by a person seeking to become an Associate member from Rs. 300 to Rs. 500 and the fee payable by an associate member for becoming a fellow member from Rs. 200 to Rs. 500.

3. **New procedure for Certificate of Practice**

The Chartered Accountants Regulations have been amended to do away with the previous system of issuing renewal certificates of practice every year. All members who were in practice as on 1st July, 1975 have been issued renewal certificates of practice in the new form without limiting the validity of the certificate of practice to one year. It is provided in the amended regulations that when a member in practice has not paid his annual certificate of practice fee by 31st July of the relevant year, his certificate of practice would stand cancelled with effect from 1st August of that year.

4. Decentralisation of registration of students and members in Southern Region.

With a view to rendering more efficient service and bringing the Institute closer to the members and students, the work relating to enrolment of members and registration of articled and audit clerks has been decentralised with effect from 1st November, 1974 in respect of the Southern India Region at Madras. The possibility of similar decentralisation in respect of other regions is being examined.

5. Disciplinary Action

Details of the orders of the High Courts on the findings of the Council in the cases referred by it for enquiry to the Disciplinary Committee under Regulation 11(8) (i) and the finding of the Council since the last report are given in Appendix IV.

6. List of Members

The list of Members as on 1st April, 1975 is being published and copies will be supplied to members who have registered their requests for the same.

7. Death of Members

The Council records with regret the sad demise during the year of the members whose names appear in *Appendix V*,

IV. ARTICLED AND AUDIT CLERKS

1. Fresh Enrolments

The numbers of articled and audit clerks registered during the year, compared to those registered in the preceding year, are given below:—

	1974-75	1973-74
.	3523	4043
Audit clerks	36	2070

The fall in the registration of apprentices in 1974-75 is due to—

(a) the restriction on direct entry into apprenticeship only to those graduates who have secured a minimum of 50 per cent marks in their degree examination and

(b) a restriction on registration as audit clerks of only those who have worked as salaried employees of the members concerned on a minimum monthly remuneration of Rs. 150.

2. Date of registration of articled/audit clerks

As mentioned in the last report, the Council has decided to remove the existing requirement for commencement of training on four fixed dates in a year, namely, 1st January, 1st April, 1st July and 1st October. Till the Regulations are amended in this behalf (for which action has been initiated) the Council has authorised the President to consider the requests for relaxation in the date of commencement of training of those students whose results of the degree examination are declared late and due to which they are not able to commence the training on one of the above mentioned four dates.

3. Registration fee

In consideration of the fact that there has been an increase in the cost of administration, the Council has increased the fee for registration of articled and audit service from Rs. 40 and Rs. 30 respectively to Rs. 50 in both cases.

Further, the Council has also decided that in all cases of transfer or assignment of articled service from one employer to another; as also in all cases of transfer of audit service from one employer to another where no fee is payable at present, a registration fee of Rs. 20 should be charged.

The relevant Regulations are being amended for the purpose.

4. Stipend to articled clerks

It was mentioned in a note published in October, 1974 issue of 'The Chartered Accountant' that certain members had challenged the validity of Regulation 32B which had imposed an obligation for payment of stipend to articled clerks joining training for the first time on or after 1st July, 1973 before the High Courts of Calcutta and Madras and that the cases were pending before the said Courts. The note stated that queries were being received whether in view of these petitions, members were required to pay stipend to

their articled clerks especially in areas falling under the jurisdiction of the said two High Courts. The note clarified that the stay granted by the Courts was confined to the cases pending before the Hon'ble High Courts, and made no difference to the obligation of other members to pay the stipend.

Subsequent to the publication of the above note, 'The Society of Auditors' of Madras filed a writ petition on the same subject before the Madras High Court and initially obtained an interim stay of the operation of Regulation 32B. However, on a petition moved on behalf of the Institute, the Hon'ble High Court has vacated the interim stay order.

Regulation 32B provides that the stipend shall be payable in the cities of Bombay, Calcutta, Delhi, New Delhi, Madras and Kanpur, at the rate of Rs. 60 per month in the first year of training; Rs. 100 per month in the second year of training and Rs. 150 per month in the third year of training. In places other than those mentioned above, the stipend is payable at half the above rates.

The Council has decided to delete the reference to "Kanpur" in the matter of payment of stipend at the higher rate, so that, after the necessary amendment in Regulation 32B is carried out, the stipend shall be payable at half-the above rates in Kanpur.

5. **Industrial Training**

An appeal was issued to undertakings which are providing industrial training to the students for the Chartered Accountants Course and were not paying any stipend to them or were paying less than Rs. 150 per month, that they should pay them a minimum stipend of Rs. 150 per month.

Another appeal was issued to important undertakings which are not at present providing industrial training to provide the facility in their organisations.

6. ***New form of certificate on termination of articled service***

The Council has decided to amend the Chartered Accountants Regulations to provide for a separate form (Form No. 20A) for the issue of certificate of service where the training under articles is terminated prior to its normal date of completion. The certificate shall be issued on the printed form which shall have to be obtained from the Secretary. Such form shall bear the stamp of the Institute and the date of its issue and shall be valid only for a period of 60 days thereafter. Appropriate steps to amend the Chartered Accountants Regulations in this behalf are being taken.

7. **Coaching Board**

(a) *Enrolment of Students*: Statistics regarding enrolment of students and other related matters are given in Appendix VI.

(b) *Study Material*: The study material supplied to students has, as usual, been constantly brought up-to-date. Also, the Board has been contributing to the Institute's Journal regular features by giving, in summary form, current economic events, a summary of important articles relating to accounting and auditing in foreign journals, a digest of income-tax and company cases and current readings.

(c) *Students' Libraries.*—The number of students' libraries including those at regional headquarters remains at 29.

(d) *Revision Classes.*—These enjoy popularity and are held at a number of centres besides those at the regional headquarters. At Madras, the Intensified Course Classes continue to be popular. In pursuance of the Board's decision, referred to in the last year's report, two sessions of four-month classes for the Intermediate Examination under the new Regulations were held at Madras and one session each at Delhi and Bombay. Students who attend 75 per cent of these classes and do 75 per cent of the tutorials satisfactorily earn the exemption from answering the test papers of the Board.

(e) *Publications.*—The Board is up-to-date in respect of Volumes of Suggested Answers to the questions set at the Institute's examinations, the volumes in respect of November, 1974 examinations having already been published.

(f) *Merit and Loan Scholarships.*—During the period under report 10 merit scholarships and 41 loan scholarships were awarded.

(g) *Miscellaneous.*—Pursuant to the Board's decision to offer an optional correspondence course to those who wish to appear at the Entrance Examination conducted by the Institute, 498 students have, during the period under review, taken up this course.

8. Students Associations and their Branches

Students Associations and their branches continued to function in all the regional constituencies *viz.*, Western, Southern, Eastern, Central and Northern. Some of these were active and arranged several conferences, seminars, lectures, study circle meetings, etc.

A branch of the Western India Chartered Accountants Students' Association was opened at Surat with effect from 1st October, 1974.

V. EXAMINATIONS

1. Examinations 1974

The Examinations were held, as usual, in May, and November, 1974 at various centres all over India. The statistics regarding the number of candidates who appeared and the number declared successful are given in Appendix VII.

2. Prizes and Certificates of Merit

Names of the candidates who were awarded prizes and Certificates of Merit in the examinations held in May and November, 1974 are given in Appendix VIII.

3. Action against Examinees

The Council has debarred 5 candidates who were found to have resorted to unfair means in the examinations for varying periods from appearing in the examination.

4. Exemption to commerce graduates in certain papers of the Entrance Examination

The Council has decided that commerce graduates who secure less than 50 per cent marks in their degree examination and as a consequence thereof are required to pass the Entrance Examination before they can join the Chartered Accountants Course, should be exempted from Paper I, namely, Elements of Accounting, and Paper IV, namely General Commercial Knowledge and Economics of the Entrance Examination. The Regulations are being amended to implement this decision.

VI. PROFESSIONAL DEVELOPMENT

1. Self-regulatory Measures

The Council had decided upon certian Self-regulatory Measures in December, 1970 in order to ensure an equitable flow of professional work among the members. These were published in the Journal of the Institute. Clause 4 of these measures provided that any firm of Chartered Accountants engaged in audit work should have at least one member for every five audits of public limited companies and statutory corporations, whose paid up share capital was at least Rs. 1 lakh each.

In consideration of the fact that a ceiling on the number of audits has since been introduced in the Companies Act itself, the Council has decided that the said clause 4 be withdrawn from the Self-regulatory Measures.

2. Members in full-time service who are partners in firms of C.As. not be abuse the rule on ceiling on audits

The Council considered the possibility of the rule regarding ceiling on the number of audits in the Companies Act being abused in cases where members in full-time service are admitted to partnership in practising firms of Chartered Accountants and thereby the firm becomes entitled to get a larger quota of the company audits. The Council has decided to make a suggestion to the Department of Company Affairs for an amendment of the Companies Act that if a member in full-time service is a partner in a practising firm of Chartered Accountants, he should not be counted for purposes of the ceiling on the number of company audits.

The Council has further decided to insert a suitable clause in the Self-regulatory measures stating that pending amendment of the Companies Act, as above, a practising firm of Chartered Accountants shall not count for the purposes of the number of audits the firm can accept under the provisions of Section 224 of the Companies Act, any of its partners who are in full-time service.

3. Members with less than 10 Years' practice only to be appointed for small audits

Another decision which the Council has taken to help the junior members of the profession, is to suggest to the Comptroller and Auditor General of India that appointment be made only of members with less than 10 Years' full-time practice as auditors of government companies and corporations where the audit fee does not exceed

Rs. 2,500/-. In case of partnership firms, this rule may apply to all firms where all partners are members with less than 10 Years' full-time practice.

The Council has further decided to insert a suitable clause in the Self-Regulatory measures to this effect.

4. Committee for fixation of audit fee in the case of government undertakings and corporations

The Council has appointed a committee, under the chairmanship of the President, to discuss with the government authorities the framing of suitable guidelines in the matter of fixation of the audit fees payable in the case of government undertakings and corporations.

5. Compulsory audit of the accounts of Partnership firms

A proposal to amend the Partnership Act to make the audit of partnerships above a certain size compulsory had been made by the Council in 1971 to the then Minister for Company Affairs, Shri K. V. Raghunatha Reddy, but the Government stated that in view of the provision then contained in clause 39 of the Taxation Laws (Amendment) Bill, 1973, it might not be necessary to make any amendment in the Partnership Act. Now that the said Bill has been passed by Parliament and the said clause 39 of the Bill is found to have undergone radical changes, the Council has decided to request the Government to revive the original proposal.

6. Appointment of Chartered Accountants as Chief Accountants, etc.

A suggestion has been made to the Government for the compulsory appointment of a Chartered Accountant as Chief Accountant or head of the Accounts Department in every company and public sector undertaking having share capital in excess of Rs. 25 lakhs or a turnover in excess of Rs. 1 crore. In the representation to the Government, it has been stressed that the duties of the Chief Accountant are no less onerous than those of the Company Secretary whose appointment has been made compulsory under the statute.

Further, in the interest of proper maintenance of accounts and having regard to the socio-economic objectives of corporate legislation in our country, such an appointment is of great importance. It has been urged that a provision in the Companies Act for the appointment of Chartered Accountants would result in a greater degree of discipline in the maintenance of accounts with consequential advantages to shareholders, taxation authorities and financial institutions.

A further representation has been made to the Bureau of Public Enterprises urging that more and more Chartered Accountants should be appointed as Financial Directors and Controllers in public sector companies and undertakings.

7. Appointment of Chartered Accountants as Company Secretaries

Members are aware that with effect from 1st February, 1975, the Companies (Amendment) Act, 1974 has introduced a new Section 383A which provides that every company having a paid-up share capital of Rs. 25 lakhs or more shall have a whole-time Secretary. Section 2(45) of the Act has also been amended to provide that a Secretary can only be an individual who possesses the prescribed qualifications. Vide notification dated 7th March, 1975, the Government has made rules which provide that in respect of companies having a paid-up share capital of Rs. 25 lakhs or more, the sole prescribed qualification shall be the membership of the Institute of Company Secretaries of India with the proviso that (i) for a period of five years from 1st February, 1975, a member of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators, London shall also be eligible for appointment and (ii) the existing company secretaries shall be deemed to possess the requisite qualifications for the limited purpose of continuing in that office in that company.

The Council has protested against the notification issued by the Government which ignores the rightful and just claims of the members of the Institute to occupy the position of secretary to which they are entitled by virtue of their training, qualifications and experience. The matter is being pursued with the appropriate authorities.

8. Membership of other bodies

The Council has decided that members of the Institute may be permitted to become members of other associations so long as the provisions of the Chartered Accountants Act and the Regulations framed thereunder are not infringed. These relate to the Code

of Conduct which members of the Institute are expected to observe more particularly those relating to advertising and canvassing for professional work. At the same time the attention of the members is drawn to Section 7 of the Act regarding the use of designation and designatory letters.

9. **Use of description—Management Consultancy Division on letter-heads, etc.**

The scheme for permitting members to render Management Consultancy Services and effecting certain relaxations in the Chartered Accountants Act and Regulations in this behalf was published in April, 1973 issue of "The Chartered Accountant". A question was raised whether, pending the statutory amendments and within the framework of the existing provisions of the Act, a chartered accountant in practice or a firm of chartered accountants could convey through its letter-heads or otherwise that Management Consultancy Services were also being rendered by it. A specific question was raised whether words such as "Management Consultancy Division" could be used by them either in addition to their designation as chartered accountants or otherwise.

The Council has been advised that having regard to the existing statutory requirements, the use of such descriptions or expressions is prohibited. Accordingly, members are advised to desist from the use of descriptions such as Management Consultancy Division, Taxation Division, etc. on their letter-heads, visiting cards, name plates; etc.

10. **Professional Development Committee**

(a) A study on "Organisation of a Chartered Accountants' office" has been released.

(b) The Technical Guides to audit of Sugar Industry and the Cement Industry have been finalised and are under print.

(c) A representation was made to the Department of Banking, Government of India, regarding reconstitution of the Panel of Auditors for audit of branches of Nationalised Banks.

(d) A National Conference of Accountants in Industry was held at Bangalore in June, 1975.

11. **Research**

(a) The Institute has been recognised as an institution established for carrying on scientific research within the meaning of Section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961. It is hoped that the recognition will attract liberal contributions from members of our profession as well as others for accelerating the pace of scientific research carrid out by the Institute.

The Council gratefully acknowledges the following donations received so far for scientific research pursuant to the aforementioned recognition:

Messrs. C. C. Chokshi & Co., Bombay—Rs. 50,000.

Messrs. Noshir M. Marfatia & Co., Ahmedabad—Rs. 10,0001.

(b) The representatives of the Institute appeared before the Study-Group on Non-banking Companies, Reserve Bank of India, regarding acceptance of deposits by non-banking companies.

(c) The following research studies have been issued:

(i) Guide to Cost Audit.

(ii) Revised second edition of the Statement on the Treatment of Retirement Gratuity in Accounts.

(d) Institute's views on Cost Accounting Record Rules for Industrial Alcohol and Sugar Industries were forwarded to the Company Law Department.

(e) Research Committee has undertaken a research project on "Accounting for Inflation" in collaboration with Messrs. Hindustan Lever Ltd., Bombay.

(f) An exposure draft on "Treatment of Fluctuating Foreign Exchange Rates in Accounts" was published in the Journal inviting views from members.

12. **Shield Panel**

After consideration of 106 entries received for the competition for the best presented accounts, the following awards were presented:

Shield for the best presented accounts during the year 1972-73

None of the annual accounts received for the competition merited the award of the Silver Shield this year.

Plaques for highly commended accounts

BHARAT COMMERCE AND INDUSTRIES LTD., for the year ended 31st December, 1972.

BRITANNIA BISCUIT COMPANY LTD., for the year ended 31st March, 1973.

PHILLIPS INDIA LTD., for the year ended 31st December, 1972.

13. **Taxation Committee**

(a) On the subject of compulsory audit for tax purposes about which members had evinced keen interest, supplementary submissions were made to the Select Committee of the Parliament urging that the original provisions regarding compulsory tax audit should be retained.

(b) As authorised by the Council, the Committee submitted detailed proposals in regard to the research project on Tax Evasion to the Planning Commission but the Planning Commission has recently written to the Institute that it would not be in a position to finance the project. However, in view of the importance of the subject, it is proposed to approach the Government for approval of this research project under section 35(2A) of the Income-tax Act, 1961, so that it may be possible for the Institute to collect necessary finance to undertake it on its own.

(c) A delegation from the Institute appeared before the Select Committee of the Parliament to give oral evidence to the Select Committee on the proposed provisions contained in the Delhi Sales Tax Bill, 1973.

(d) In addition to the Pre-Budget and Post-Budget Memoranda submitted to the Finance Minister, the Committee also submitted the following representations to the Central Board of Direct Taxes and the results thereof are indicated against each item:—

(i) Representation seeking allowance of depreciation on indigenous motor cars on the basis of their actual cost regardless of the price paid by the assessee. This representation has been accepted and necessary amendments have been made by the Finance Act, 1975.

(ii) Representation for the waiver of interest in cases where there is a delay in filing the return of income and the delay is unavoidable or unintentional—pending for consideration.

(iii) Representation seeking amendments to the present rules for valuation of perquisites—pending for consideration.

(iv) Representation to remove the practical difficulties faced by the tax payers which arise from implementation of the recent guidelines issued by the Government for foreign investments—pending for consideration.

(v) Representation to remove the practical difficulties arising from the transfer of assets by holding companies to their wholly owned subsidiaries and *vice-versa*—pending for consideration.

(vi) Representation in regard to valuation of immovable properties—pending for consideration.

(vii) Representation regarding the valuation of unquoted shares of companies—pending for consideration.

viii) Representation seeking wealth-tax exemption in regard to the amount of compulsory deposit—The Board has regretted its inability to accept our suggestion.

(ix) Representation on the deductability of provision for gratuity in computing the profits and gains of business or profession—The Board has regretted its inability to accept our suggestion.

(x) Representation seeking exemption for foreign citizens from the operation of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Scheme, 1974—The Board has regretted its inability to accept our suggestion.

(xi) Representation in regard to the forms of audit report under Sections 80HH and 80J (6A) of the Income-tax Act—The form of audit report suggested by us and the one prescribed by the Board under Section 80HH are similar.

The representation in regard to the form of audit report under Section 80J (6A) is under consideration of the Board.

(xii) Representation in regard to payment of taxes by cheque—accepted in principle.

(xiii) Representation in regard to audits under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Scheme, 1974—The Board has regretted its inability to accept our suggestion.

14. Company Law Committee

The Committee dealt with a number of matters of which the notable ones are the following:—

(a) Representation to the Government on the provisions of Section 45MA of the Reserve Bank of India Act casting additional duties on the company auditors.

(b) Issue of the Statement on Non-Provision for Taxation in Company Accounts.

(c) Finalisation of the Exposure draft of Guidance Note on Auditor's Duties under Section 45 MA of the Reserve Bank of India Act.

A Seminar on "Recent Trends in Company Legislation"—the first of its kind after the introduction of Companies (Amendment) Act, 1974—was held on 23rd and 24th August 1975 at New Delhi.

15. Post Graduate Course Committee

(a) The details regarding the Management Accountancy Course examinations held during the year appear in Appendix IX.

(b) The list of basic text books for intensive study and the reference books for Papers (1) and (2) of Group II of the Management Accountancy Course were revised.

(c) Guidelines to assist the Advisory Groups which are functioning at various centres for the Management Accountancy Course were finalised to enable them to function more effectively.

(d) A scheme to award "7th Conference of Chartered Accountants Scholarship" to the best student undergoing Part II of the Management Accountancy Course has been finalised.

(e) It has been decided to institute a "Tulsiram Devidayal Memorial Prize" for the candidate securing the highest marks in Group I and passing the Management Accountancy Course Part I Examination (Both Groups) at one sitting.

(f) Merit Scholarships of Rs. 500/- under the incentive scheme were granted to 11 candidates for the purchase of books for the Management Accountancy Course.

(g) 10 candidates registered their names for practical training under Part II of the course, during the year.

(h) The first issues of the Publications "Management Quarterly" and "Economic Quarterly" containing a digest of current articles with a view to facilitate the candidates preparing for papers (1) and (2) of Group II of the Management Accountancy Examination have been released. The annual subscription for these quarterlies is Rs. 150/-. For the candidate undergoing Management Accountancy Course, the annual subscription is Rs. 120/-.

16. Post Graduate Course in Management Accountancy—use of designatory letters

Members who complete the Post-graduate Course in Management Accountancy are at present entitled to use the letters "DMA" after their names. A case was brought to the notice of the Council where a University is granting the right to use the same designatory letters. Therefore, in order to remove the confusion due to concurrent use of the same alphabets by two institutions, it has been decided to change our designatory letters to "DMA(ICA)". The Chartered Accountants Regulations are being amended to give effect to this change.

17. Continuing Education Programme

The Post Graduate Course Committee organised the following Courses/Seminars in the Continuing Education Programme:—

(i) Project Management at Bangalore on 12th, 13th and 14th April, 1974.

(ii) Corporate Tax Planning at Hyderabad on 19th, 20th and 21st April, 1974.

(iii) Quantification and the Accountant at Bombay on 17th, 18th and 19th May, 1974.

(iv) Statistical Sampling Techniques in Auditing at Delhi on 7th, 8th and 9th June, 1974.

(v) Computer in Accounting and Auditing at Madras on 16th, 17th and 18th August, 1974.

(vi) Corporate Tax Planning at Bombay on 21st, 22nd and 23rd August, 1974.

(vii) Management Control Systems and Organisation Structure at Calcutta on 19th, 20th & 21st September, 1974.

(viii) Tax Planning for New Projects at Kanpur on 1st, 2nd and 3rd November, 1974.

(ix) Residential Course on Financial Management at Bangalore on 23rd, 24th, 25th, 26th & 27th December, 1974.

(x) Introduction to Computer for the Accountant at New Delhi on 14th, 15th, 16th & 17th February 1975.

(xi) Tax Planning & Financial Management at Jaipur on 19th, 20th & 21st April, 1975.

Besides the above, the Committee organised a Seminar on "Accountability in the Public Sector" at New Delhi on March 30, 31 & April 1, 1975 in collaboration with Bureau of Public Entreprises.

18. **Expert Advisory Committee**

The Expert Advisory Committee rendered its opinion on six queries received by it.

19. **Employment Committee**

The number of members on the Employment Register on 31st March, 1975 was 184 as against 148 on 31st March, 1974.

With a view to ascertaining the usefulness of the service of sending clippings from leading newspapers regarding vacancies for Chartered Accountants to the members borne on the Employment Register, a circular was sent to all the candidates. The replies received indicate that this service is greatly appreciated by the members and that the Institute should continue rendering this service. Accordingly, this service is being continued in order to serve the needs of the members.

A list of candidates who have passed the Final Examination held in May 1974 and have opted for service in the public sector undertakings was sent to all the Council members with the request to help the young candidates by recommending their names to some of the leading public sector undertakings which needed Chartered Accountants. A similar procedure was followed in respect of candidates who had been declared successful in the November 1974 examination also.

A representation on the holding of Certificate of Practice by Chartered Accountants in the employment of Government undertakings as sent to the Bureau of Public Enterprises with a request to consider the matter in all its aspects and to accede to the legitimate request of Chartered Accountant employees for permission to hold the Certificate of Practice.

A memorandum has also been sent to the Bureau of Public Enterprises emphasising that the highest positions in the accounts and finance divisions of public sector undertakings should be manned by professional people. The Bureau has been requested to take up the issue individually with the public sector undertakings and through the Ministries concerned that this philosophy takes a practical shape.

The workshop seminar on the theme "Towards a Brighter Future" had to be postponed as the dates originally fixed were close to the dates fixed for the Commonwealth Conference of Accountants held in February 1975 at Delhi. It is now proposed to be held sometimes during October 1975.

20. **University Liaison Committee**

A workshop with eminent educationists and Council members was organised on 15th September, 1974 for a discussion on matters of importance in the field of education both for membership as also in the areas of post-qualification education and research.

An application has been made to the Gujarat University for recognition of the Institute for purposes of guiding students for post graduate degree by Research.

21. Newsletter and Journal of the Institute.

A newsletter has been started with effect from July 1975, which will be supplied, free of charge, to all members of the Institute. The Newsletter will, *inter alia*, contain the Institute's Notifications to meet the statutory obligations. News & Notes, Statistics, Membership, etc.

At the same time with effect from the July 1975 issue the Journal has been made a priced publication for all including the members. Every effort is being made to improve the quality of the Journal.

VII. OTHER MATTERS

1. Meeting with the Prime Minister

The President accompanied by the Vice-President and the Secretary met the Prime Minister on 24th July 1975. The Finance Minister and the Minister of Law, Justice and Company Affairs were also present at the meeting. Among the points discussed was the proposal of the Institute to make it obligatory on all Companies to have Chartered Accountants to be in charge of their Accounts Department, so that there could be greater financial discipline and better financial management. The President also pleaded for the revival of the Study on Tax-evasion which the Institute had been entrusted with by the Government, but which was withdrawn owing to financial stringency. He also stressed the urgency of enacting into law the Taxation Laws (Amendment) Bill, 1973, as it was a progressive and healthy measure to check the evil of black money.

2. Co-operation with sister Institutes

The Council is of the view that there are many areas of mutual interest where it could cooperate with the Institute of Cost and Works Accountants of India and the Institute of Company Secretaries of India and that their activities in such areas should be co-ordinated, as far as possible. This has been recognised by the sister Institutes also and to explore possibilities in this direction, in respect of both the sister institutes two working groups have been formed—one for education and training and the other for research, professional practice and discipline. Discussions are in progress and it is hoped that fruitful conclusions will emerge which will be beneficial to members of all the Institutes.

3. Elections—ban on canvassing

In the interest of maintaining better discipline and higher ethical standards in the elections, the Council has decided to reintroduce the prohibition on canvassing, with the stipulation that each candidate would be permitted to send one circular letter to each voter in the constituency announcing his candidature and asking for his vote and also indicating certain specified particulars about himself.

The Council has also decided that the views of the members of the Institute should be invited. A circular letter will be sent to the members in this connection.

4. Library

During the year, 672 books were added to the Central Council library at New Delhi bringing the total number of books to 12075. Increasing use of the library was made by members and students.

5. Nominees of the Institute on other bodies

The Institute is represented on various outside bodies by its members as per list enclosed as *Appendix X*.

6. Chartered Accountants' Benevolent Fund

During the year, the number of members increased from 193 to 198 and a sum of Rs. 11,750/- was disbursed by way of financial relief. The balance to the credit of the fund at the end of the year stood at Rs. 63,651 as against Rs. 67,206/- at the end of the previous year.

7. S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

The number of members of the Fund increased during the year from 38 to 44. At the end of the year, the balance to the credit of the Fund was Rs. 25,328 as against Rs. 24,552/- at the end of the previous year. A sum of Rs. 3,850/- was paid by way of scholarships to students.

VIII. SILVER JUBILEE CELEBRATIONS

The Institute which was set up on 1st July 1949 completed 25 years of its existence on 30th June 1974. The period of one year commencing from 1st July 1974 was celebrated as the Silver Jubilee Year.

A variety of programmes, including conferences, seminars, lecture meetings, workshops etc. were organised. A Special Committee—The Silver Jubilee Celebrations Committee—was appointed under the chairmanship of Shri S. K. Gupta, with a number of sub-committees both at the centre and in the different regions for arranging the programmes.

On the eve of the commencement of the Silver Jubilee Year—30th June 1974 a short write up under the title "25 years in the Service of the Nation" was published in leading dailies of the country. It highlighted the significance and importance of the role of Chartered Accountants in the service of the Society and the country. On the first July, to mark the beginning of the Silver Jubilee Celebrations, fellowship meetings were held all over the country. On the 10th July, the President of the Institute gave a talk on the All India Radio on "Social Responsibilities of auditors" The July 1974 issue of the Journal "The Chartered Accountant" was released as the Silver Jubilee Number It contained a number of articles highlighting different aspects of the activities of the Institute and its committees. A Silver Jubilee Commemorative seal was also issued.

The most notable event in the Silver Jubilee Celebrations was the Commonwealth Conference of Accountants—the first of its kind. It was held in the glittering Convention Hall of Ashoka Hotel in New Delhi between 5th and 8th February 1975. The Conference was inaugurated by the President of India, Hon'ble Shri Fakhruddin Ali Ahmed, and was addressed among others by the Union Minister for Finance Hon'ble Shri C Subramaniam, the Union Minister for Industry and Civil Supplies, Hon'ble Shri T. A. Pai and the Attorney General of India, Shri Niren De. The Conference was attended by representatives of most of the important accountancy bodies in the Commonwealth. In addition about 1250 Chartered Accountants from different parts of the country participated in it Three hundred accompanying ladies participated in the social functions.

The theme of the Commonwealth Conference of Accountants was "The role of accountants in economic development" and various subjects of topical importance revolving round this theme were discussed in five technical sessions on Measurement, Communication, Environment, Management and Structure. On the 5th February 1975, group discussions were held for selected delegates where the papers contributed for the Conference were discussed at length. In the evenings of the Conference days social programmes were arranged for entertainment of delegates and other guests The overseas guests and Council members were invited for tea by the President of India. On the concluding day a Farewell Cocktail Party was held at Hotel Oberoi Intercontinental.

While the participants were busy in the Technical Sessions, the accompanying ladies were taken round the city to see various places of historical importance. All lady delegates and accompanying wives were received by the Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, at her residence.

The Council is happy to record that the Conference was a great success and was much appreciated by all the delegates, especially the guests from overseas A proposal for holding similar conferences in future within the commonwealth countries was discussed at a meeting of the heads of delegates and the suggestion was welcomed The next conference is likely to be held in the United Kingdom in 1980.

An all India Students Meet at Madras was held in August 1974 The programme included not only a conference but also a sports competition among the students.

In the programme of workshops, the first workshop was held between academicians and representatives of the Institute in September 1974 at New Delhi to discuss the following two topics:—

(1) Education and training—a need for integration; and

(2) Coordination between the Institute and the Universities in Research

This workshop was held under the aegis of the University Liaison Committee of the Council. The suggestions which emerged as a result of the discussions are being followed up.

A workshop on Social Cost Benefit Analysis has been organised by the Professional Development Committee in three sessions—one at Bombay in June 1975 and the other two at New Delhi in July and September The conclusions arrived at this workshop bring home to the profession the implications in respect of Social Cost and benefits which may enable the Profession to portray a net return to society flowing from an undertaking.

A workshop on "Users of Financial Statements" will be held shortly by the Professional Development Committee with the representatives of various interests who have occasion to study and make use of financial statements, viz., the industrial and commercial houses, banks, shareholders trade unions chambers of commerce, concerned departments of government, etc.

The Regional Councils have been equally active in organising at local level various programmes including lectures, regional conferences, social get-togethers etc.

IX. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

1. Regional Councils.

The Regional Councils continued to function in five Regional Constituencies viz. Western (Bombay), Southern (Madras), Eastern (Calcutta), Central (Kanpur), and Northern (Delhi). The Regional Councils were active and arranged several conferences, seminars, lectures, study circle meetings etc.

2. Branches of Regional Councils.

Six existing branches of the Western India Regional Council viz., Ahmedabad, Baroda, Goa, Poona, Nagpur and Surat; eleven of the Southern India Regional Council at Bangalore, Belgaum, Coimbatore, Ernakulam, Hyderabad, Madurai, Mangalore, Salem, Tiruchirapalli, Trivandrum and Vijayawada; three of the Central India Regional Council at Indore, Jaipur and Jamshedpur; and one branch of the Northern India Regional Council at Chandigarh, continued to function. Three new branches were opened—one of the Eastern India Regional Council at Asansol; one of the Northern India Regional Council at Ludhiana and one of the Central India Regional Council at Ghaziabad.

The Council has now decided to restrict the number of new branches coming up in the future as also to regulate their functioning by reducing their jurisdictional area. With this objective in view the jurisdictional area of a branch of a Regional Council is being reduced from 50 miles to 40 Kilometres and an amendment in the Regulations is being made for this purpose. The result of this amendment would be that after it has come into force it would be possible to set up a branch of Regional Council in a city only if there are not less than 50 members residing in the city or within a distance of 40 kilometres from the city limits. The members living in towns beyond the jurisdiction of a branch have, however, been permitted to participate in the activities of the branch with certain conditions. An announcement to this effect has been published in January 1975 issue of the Journal.

X. INTERNATIONAL RELATIONS

1. International Co-ordination Committee for the accountancy profession

The Institute continued its membership of the above body. Shri S. K. Gupta represented the Institute at the committee. An invitation has been extended to the Committee to hold its February 1977 meeting in New Delhi and the same has been accepted.

2. International Accounting Standards Committee.

The Insitute continued as an Associate member of the above body.

The definitive draft of the first standard issued by the committee on 1st December of accounting policies will be issued to members shortly together with guidance notes.

The Institute offered its detailed comments on exposure draft No. 2 on "Valuation and presentation of Inventories in the context of the Historical Cost System".

3. Eleventh International Congress of Accountants.

In connection with the Eleventh International Congress of Accountants to be held in Munich (West Germany) in October 1977, the Institute was invited to nominate authors for a national report for a study group session and for a commentary on the general report for one of the plenary sessions. The Council considers these invitations a great honour to the accountancy profession in India. The Council decided that the first assignment should be offered to our sister institute. The Institute of Cost and works Accountants of India and for the second assignment, the President of the Institute, Shri N. C. Krishnan, was selected as the author.

The Council has also decided to send a delegation to the Congress. An announcement for this purpose will be made through the Newsletter in due course.

4. Eighth Conference of Asian and Pacific Accountants.

The Institute has received an invitation to participate in the Eighth Conference of Asian & Pacific Accountants to be held in Hong Kong in September 1976. The Council has accepted the invitation and an announcement for the purpose will be made through the Newsletter in due course.

The Institute has also been invited to prepare a paper on "Training Accountants for the future" for discussion at the Chief Delegates meeting which will precede the conference.

XI. APPRECIATION

The Council wishes to place on record its grateful thanks to the Government for its continued support and assistance.

The Council wishes to record its appreciation of the valuable contribution of the members of the Institute who were co-opted on its various Committees as also other members of the Institute who participated in the various Conferences, Seminars, etc. organised by the Institute.

The Council further wishes to place on record its appreciation of the work done by the officers and staff during the year under report.

Shri C. Balakrishnan, who had served the Institute as Secretary with distinction for over ten years, resigned in June 1974. Shri Balakrishnan rendered meritorious service to the Institute in diverse ways and was instrumental in the manifold increase in the activities of the Institute and bringing about recognition of the Institute from the international accounting fraternity. From 1st July, 1974 till 16th February, 1975, Shri T. S. Grewal, Joint Dean, acted as the Secretary From 17th February, 1975 Shri P. S. Gopalakrishnan has taken over the charge as the Secretary of the Institute.

(Sd.) P. S. GOPALAKRISHNAN, Secy. (Sd.) P. M. NARIELVALA, Vice-President (Sd.) N. C. KRISHNAN, President

NEW DELHI;

Dated: 16*th September*, 1975.

APPENDIX I

(*Reference* : Section I-1 of the Report)

Members of the Council

Krishnan, N.C. *President*

Narielvala, P.M. *Vice-President*

Argade S.G.	Bombay
Balakrishnan, C.	New Delhi
Bhandari, B.C.	Jaipur
Bhattacharya, Sukumar	Calcutta
Chakraborty, A.K.	Calcutta
Chowudhury, A.	New Delhi
Damania, H.M.	Bombay
Ganapathy, C.C.	New Delhi
Gupta, S. K.	Calcutta
Jagadisan, V.	Madras
Kabra, B. L.	Bombay
Khanna, R.K.R.	New Delhi
Maheswari, B.R.	Delhi
Malegam, Y. H.	Bombay
Mallik, P. K.	Calcutta

*Nominated in place of Shri Pravinchandra V. Gandhi (Bombay) with effect from 17th September 1974 to 16th September 1975.

Mehta, B. S.	Bombay
Narasimhamurthy, A.R.	Bangalore
Nigam, R.S.	New Delhi
Parikh, Anil M.	Bombay
Rajaraman, V.	New Delhi
Ramanujam, G.	Madras
Ranga, R.P.	New Delhi
Shah, P. N.	Bombay
Seth, R. K.	Kanpur
Vasa, H. V.	Ahmedabad
Venugopal, P.	Hyderabad
Vijayaraghavan, P. B.	Madras.

APPENDIX II

Members of the Various Committees

(a) Standing Committees

(i) *Executive Committee*

Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice President (Ex-officio)
Shri V. Jagadisan
Shri B. R. Maheshwari
Y. H. Malegam

(*ii*) *Examination Committee*

Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri A. K. Chakraborty
Shri P. N. Shah
Shri P. Venugopal

(*iii*) *Disciplinary Committee*

Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri A. Choudhury
Shri P. K. Malik
Shri B. S. Mehta

(b) Non-Standing Committees

(*i*) *Research Committee*

Shri Y. H. Malegam Chairman
Shri P. N. Shah, Vice-Chairman
Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri Sukumar Bhattacharya
Shri V. Jagadisan
Dr. R. S. Nigam
Shri P. B. Vijayaraghavan
Shri C. Balakrishnan
Shri B. M. Mirza } Co-opted members
Shri M. Sundararaman
Shri C. S. Samuel

(*ii*) *Post Graduate Course Committee*

Shri H. M. Damania, Chairman
Shri V. Rajaraman, Vice-Chairman
Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri S. K. Gupta
Shri Anil M. Parikh
Shri P. B. Vijayaraghavan
Shri C. Balakrishnan
Shri A. B. Rabadi } Co-opted members
Shri S. V. Ghatalia }

(*iii*) *Professional Development Committee*

Shri Anil M. Parkh, Chairman
Shri A. R. Narasimhamurthy, Vice-Chairman
Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri C. C. Ganapathy
Shri R. P. Ranga
Shri R. K. Seth
Shri P. Venugopal
Shri A. Venugopal } Co-opted members
Shri B. N. Pardiwala }

(*iv*) *Taxation Committee*

Shri B. L. Kabra, Chairman
Shri Sukumar Bhattacharya, Vice-Chairman
Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri S. G. Argade
Shri B. C. Bhandari
Shri C. C. Ganapathy
Shri R. K. Seth
Shri A. B. Tandan } Co-opted members
Shri M. M. Jain }

(*v*) *Coaching Board*

Shri P. B. Vijayaragavan, Chairman
Shri H. V. Vasa Vice-Chairman
Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri B. C. Bhandari
Shri H. M. Damania
Dr. R. S. Nigam
Shri V. B. Haribhakti } Co-opted members
Dr. I. B. Sinha }
Shri S. A. Murali Prasad

(*vi*) *Employment Committee*

Shri V. Rajaraman, Chairman
Shri A. K. Chakraborty, Vice-Chairman
Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri B. C. Bhandari
Shri B. L. Kabra
Shri G. Ramanujam
Shri H. V. Vasa
Shri H. R. Gupta Co-opted member

(*vii*) *Expert Advisory Commimttee*

Shri R. K. Khanna, Chairman
Shri V. Rajaraman, Vice-Chairman
Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri B. S. Mehta
Shri Raghunath Rai Co-opted member

(viii) Company Law Committee

Shri S. K. Gupta, Chairman
Shri A. Choudhury, Vice-Chairman
Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri H. M. Damerla
Shri B. S. Mehta
Shri Y. C. Amin
Shri S. N. Desai } Co-opted members
Shri K. Ganesan

(ix) University Liaison Committee

Shri S. G. Argade, Chairman
Shri B. R. Maheswari, Vice-Chairman
Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri A. R. Narasimhamurthy
Shri Anil M. Parikh
Shri P. Venugopal

(x) *General Purposes Committee*

Shri N. C. Krishnan, Chairman
Shri P. M. Narielvala, Vice-Chairman
Shri V. Jagadisan
Shri B. R. Maheswari
Shri Y. H. Malegam

(xi) Silver Jubilee Celebrations Committee

Shri S. K. Gupta, Chairman
Shri N. C. Krishnan, Vice-Chairman
Shri V. Jagadisan
Shri R. K. Kharra
Shri Y. H. Malegam
Shri P. K. Mallik
Shri Bansi S. Mehta
Shri P. M. Narielvala
Shri Anil M. Parikh
Shri V. Rajaraman
Shri R. K. Seth
Shri C. Balakrishnan

(xii) Ad hoc Committee for decentralisation and branches

Shri Anil M. Parikh, Chairman
Shri P. B. Vijayaraghavan, Vice-Chairman
Shri N. C. Krishnan, President (Ex-officio)
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri B. C. Bhandari
Shri A. K. Chakraborty
Shri B. R. Maheswari

(xiii) Editorial Board

Shri N. C. Krishnan, President, Editor-in-Chief
Shri P. M. Narielvala, Vice-President (Ex-officio)
Shri V. Jagadisan
Shri A. R. Narasimhamurthy
Shri P. Venugopal
Shri P. B. Vijayaraghavan

APPENDIX III

(*Reference*: Section III-1 of the Report)

Number of Members as on 31st March, 1974 and 31st March, 1975.

	Associates		Fellows		Total	
	31-3-74	31-3-75	31-3-74	31-3-75	31-3-74	31-3-75
Members holding Certificate of Practice . .	5530	5063	4105	4481	9635	10,444
Others . .	4360	4568	316	360	4676	4929
Total : .	9890	10,531	4421	4841	14,311	15,372

APPENDIX IV

(*Reference*: Section III-5 of the Report)

Disciplinary action against Members

I. ENGAGING THE SERVICES OF THE AUDIT CLERK FOR AGRICULTURAL ACTIVITIES

On a complaint made by an audit clerk against his employer in which the former had *inter alia* charged the latter with misconduct for having used the services of the latter during the period of his audit service for promoting the agricultural activities of the former, the Disciplinary Committee, though satisfied from the evidence recorded that the audit clerk was required to attend to the agricultural activities of his employer during office hours, very regrettably came to the conclusion that engaging the services of the audit clerk for agricultural operations not casually but for a considerable time during his service as an audit clerk, did not render the member guilty of professional or other misconduct. The Council, having found the member not guilty of any professional or other misconduct, dismissed the complaint.

On appeal made by the audit clerk against the order of the Council the High Court held that the conduct of the member in having asked the audit clerk to attend to his agricultural work instead of giving training to him to make him an auditor, clearly amounted to "other misconduct" but considering the length of time these proceedings had taken, administered a reprimand to him.

II. FAILURE TO POINT OUT THE NON-COMPLIANCE OF THE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 1956

A member was found guilty of professional misconduct under clauses (5), (6), (7) and (9) of part I of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 for having failed to point out (1) that the company of which he was the auditor was a subsidiary company and the contravention of the Sixth Schedule to the Companies Act, 1956, (2) the non-disclosure of bonus shares, (3) that the company was Section 43A Company, (4) the attraction of the provisions of Section 369 regarding loan to Managing Agents, (5) the non-existence of contract register required to be maintained under Section 360(3), and (6) the non-disclosure in the P & L accounts as required under Schedule VI, Part I, the money value of the contracts for the supply of services entered into by the company with the associates of the Managing Agents. The Council had recommended to the High Court removal of the name of the respondent from the membership of the Institute for one year. The High Court while upholding the findings of the Council reduced the period of removal to two months.

III. FAILURE TO COMMUNICATE WITH THE PREVIOUS AUDITOR

A member was found guilty of professional misconduct under Clause (8) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949. In this case there was no evidence to show that the letter of communication was sent at all to the previous auditor. The Council, after hearing the Respondent, administered a reprimand under Section 21(4) of the Act.

IV. INCLUSION OF PARTICULARS IN THE FORM SUBMITTED TO THE COUNCIL KNOWING THEM TO BE FALSE

A member was found guilty of professional misconduct under Clause (1) of Part III of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 for having included in the form of application for permission to study for B.Com. submitted by his articled clerk, particulars regarding the hours of attendance for B.Com. course which he knew to be false. The Council after hearing the member passed an order under Section 21(4) of the Act administering a reprimand to him.

V. FAILURE TO ASCERTAIN THE REQUIREMENTS OF COMPANIES ACT REGARDING APPOINTMENT OF AUDITORS

A member was found guilty of professional misconduct under Clause (9) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949. In this case there was no evidence to show that the member had taken any steps to find out whether the company had followed the procedure laid down the matter of his appointment as auditor in accordance with the provisions of Sections 224 and 225 of the Companies Act, 1956. He had not taken care to see whether a vacancy existed against which he was appointed, whether notice of the extraordinary general meeting at which the application was made was given to the previous auditor etc. The Council after hearing the member administered a reprimand to him under Section 21(4) of the Act.

VI. SOLICITING PROFESSIONAL WORK

A member was found guilty of professional misconduct under Clause (6) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 for having solicited professional work by means of a letter after obtaining a letter of proposal from a person interested in him seconded by another person whose signature was obtained by the member himself and that too later. After consideration of the written representation of the member, the Council passed an order under Section 21(4) of the Act reprimanding the member.

APPENDIX V

(*Reference* : Section III-7 of the Report)

Names of Members who died during the year 1974-75

S. No.	Membership No.	Name
1	25	S.K. MITTER
2	32	M.D. DARBARI
3	46	P.M. HEGDE
4	60	A.K. PAREKH
5	154	J.T. DESAI
6	168	Y. RAMASWAMY
7	189	A.L. SEHGAL
8	200	H.F. CAPTAIN
9	227	S. NAGARAJ
10	277	A.K. MUKHERJEE
11	320	P. PARTHASARTHI
12	388	H.M. CONTRACTOR
13	455	D.P. CHATERJEE
14	528	D.N. VENKATARAMAN
15	802	M.S. MURTI
16	9906	P. VENKATARAO
17	1593	V.R. GANDHI
18	1719	V.B. BHATT

S. No.	Membership No.	Name
19	1737	S.K. ROY CHOUDHRI
20	1872	C.V. SHAH
21	1943	A. VARDACHARI
22	1985	G.V.L.S. SHARMA
23	2668	L.C. TODARWAL
24	2974	S. GHOSH
25	3323	S.S. SHASTRY
26	3554	B.N. VAKIL
27	4017	H. VENKATESWARAN
28	4622	M. GOPALKRISHNAN
29	6309	P. VISHNU MENON
30	8133	S.B. DEB ROY
31	11984	P.C. MODI
32	14514	R.D. VANDERWALA

APPENDIX VI

(*Reference* : Section IV-8 of the Report)

Number of Students enrolled during the year 1974-75

	Intermediate				Final					
	Comp.		Opt.		Group I		Group II		Opt.	
Number of candidates who were on Roll on 1st April, 1974.	(10550)	13,199	(Nil)	Nil	(2797)	3236	(2679)	3062	(7)	Nil
Enrolled during the year 1974-75.	(6071)	3,464	(Nil	Nil	(1972)	3243	(1972)	3243		Nil
		16,663		Nil		6479		6305		
Number of students who completed tuition which include 3 from the Intermediate course who discontinued tution during the year.	(3422)	4,323			(1533)	1730	(1589)	1775		
		12,340				4,749		4,530		

Figures shown in the brackets are for the previous year.

APPENDIX VII

(*Reference* ; Section V—1 of the Report)

Particulars of the Examinations

	No. of candidates appeared	No. of candidates passed	Percentage
ENTRANCE EXAMINATION :			
May 1974	0868	69	7·9%
November 1974	2623	358	13·65%
INTERMEDIATE EXAMINATION :			
May 1974	5963	1618	27·13%
November 1974	5928	1631	27·51%

FINAL EXAMINATION :

	No. of candidates appeared in both Groups	No. of candidates passed in Both Groups	Percentage	No. of candidates passed in Group I only	Percentage	No. of candidates passed in Group II only	Percentage	No. of candidates appeared in Group I only	No. of candidates passed	Percentage	No. of candidates appeared in Group II only	No. of candidates passed	Percentage
May 1974 . . .	1087	156	14·3%	162	14·9%	167	15·4%	1987	328	16·5%	1027	263	25%
November 1974 . .	1181	194	16·4%	164	13·9%	287	25·3%	1991	331	16·6%	1148	294	25%

APPENDIX VIII

(*Reference* : Section V-z of the Report)

Prizes and Certificates of Merit

FINAL EXAMINATION

Best Student of the year 1974.

D.A. Gadgil—awarded the following prizes :
G.P. Kapadia (First President) Gold Medal.
R.V.K. Umarjee prize for the best paper on Cost Accounting.
G. Basu Foundation award for the best student of the year 1974.
N.M. Das prize for the best student in the Accountancy Group of the year 1974.
Ramchandra Singhi prize for the best candidate.
Certificate of Merit—First Rank.

INTERMEDIATE EXAMINATION

Best Student of the year 1974.

Dorag E. Mistry—awarded the following prizes :
G.P. Kapadia (First President) Silver Medal.
Suri Memorial Fund Award for the best student of the year 1974.
Certificate of merit—First Rank.

FINAL EXAMINATION

		May 1974	*November* 1974
1.	G.P. Kapadia (First President) Gold Medal		R.K. Agarwal
2.	Sir Shapoorji Billimoria Prize (Value Rs. 200/-) for the best paper on Accountancy	T. Nagaraja	D.B Kapadia
3.	R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting		A.K. Todani & M. Sundra Moorthi
4.	A.F. Ferguson Cash Prize of Rs. 200/- for the best paper on Auditing	A. Nirmal Kumar	M.N. Subramanian
5.	N.M. Shah Prize (Value Rs. 200/-) for the bst paper on Taxation	K. Sudhakar	A.K. Sabat
6.	Suri Memorial Fund award for the best paper on Commercial Laws & other Direct Taxes Acts	R.S. Jhaveri	P.D. Oak
7.	U.C. Majumdar Prize for the best paper on Company Law	S. Gopalan & P. Muralikrishna	Pradeep Bhandari
8.	The Venkatachalam Mohan Cash Prize of Rs. 100/- for the best paper on Economics	T.S. Sundaresan & P.K. Amlani	A. Murugeraden
9.	R. Sivabhogam Prize to the best lady candidate	Smt. K. Saroja	Miss Ruby N. Bhandari
10.	Ramchandra Singhi Prize for the best candidate		R.K. Agarwal
11.	Certificate of Marit :		
	1st Rank		R.K. Agarwal
	IInd Rank	A. Nirmal Kumar	Amin Bhatia & R.K. Shah
	IIIrd Rank	S. Gopalan & Prabhat D. Amashi	D.B. Kapadia

INTERMEDIATE EXAMINATION

		May 1974	*November* 1974
1.	G.P. Kapadia (First President) Silver Medal	D.V. Berde & K. Vaidyanathan	
2.	Certificates of Merit :		
	IInd Rank	Harshad Pranlal Shah	Miss. B.B. Shah & R.N. Vijay Simha
	IIIrd Rank	M.V. Gangadharan	R.D. Banker

APPENDIX IX

(*Reference* : Section VI-15 of the Report)

MAC Examination on May 1974 & *November* 1974

	May 1974	*November* 1974
Total number of candidates appeared in Both Groups	15	16
Total number of candidates passed in Both Groups	1	1
Passed in Group I	1	Nil
Passed in Group II	2	2
Total number of candidates appeared in Group I	16	15
Total number of candidates passed in Group I	2	2
Total number of candidates appeared in Group II	4	4
Total number of candidates passed in Group II	Nil	2

APPENDIX X

(*Reference* : Section VII-7 of the Report)

Nominees of the Institute on other Bodies

	Name of the Body	Name of the representative
1.	The General Council of the Institute of Applied Man power Research	President in-office (Shri N.C. Krishnan)
2.	The National Productivity Council	Shri Y.H. Malegam
3.	The All India Board of Technical Studies in Commerce	Shri P.B. Vijayaraghavan
4.	The All India Board of Technical Studies in Management	Shri P.K. Mallik
5.	Study Group for Commercial subjects—Directorate General of Employment and Training	Shri S.G. Argade
6.	Association of Indian Universities Committee for assisting in the preparation of a code of financial procedure for Universities.	Shri R.K. Khanna & Shri V. Rajaraman

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

Balance Sheet as at 31st March, 1975

FUNDS & LIABILITIES			31-3-1975		31-3-1974
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
I. CAPITAL RESERVE					
Balance : 1-4-1974		48,47,075		44,45,736	
Add : (a) Entrance Fee	3,05,222			4,01,339	
(b) Surplus on sale of assets	4,77,062	7,82,284		—	
			56,29,359		48,47,075
II. GENERAL RESERVE					
Balance : 1-4-1974	5,83,159			9,14,432	
Less : Adjustment in respect of earlier years	(1,10,592)				
		4,72,567			
Less : Deficit in Income & Expenditure Account		(10,52,469)		(3,31,273)	
			(5,79,902)		5,83,159
			50,49,457		54,30,234
III. FUNDS					
(a) *Research Fund*					
Balance : 1-4-1974		5,85,905		5,85,905	
(b) *Medals & Prizes Fund* :					
Balance : 1-4-1974	85,413				
Additions	36,200				
Add. : Income earned	7,491				
	1,29,104				
Less : Cost of Medals & Prizes awarded	6,633				
		1,22,471		85,413	
(c) Scientific Research Account		60,001		—	
			7,68,377		6,71,318
IV. LIABILITIES					
(a) Fees received in advance		18,15,165		14,93,378	
(b) Creditors for expenses		7,88,331		5,35,165	
(c) Other Liabilities		6,73,151		6,51,441	
			32,76,647		26,79,984
TOTAL			90,94,481		87,81,536

PROPERTY & ASSETS	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
I. FIXED ASSETS (Cost less depreciation) Schedule A			39,81,514		41,89,376
II. INVESTMENTS (at Cost)					
(a) Fixed Deposits with Banks		15,07,455			
(b) Government Securities		2,506			
			15,09,951		14,87,338
III. EARMARKED INVESTMENTS					
(a) Research Fund (Fixed Deposits with Banks)		5,85,905		5,85,905	
(b) (i) *Medals & Prizes Fund*					
(a) Fixed Deposits with Banks	39,200				
(b) Government Securities & Post Office National Savings Certificates	76,524				
	1,15,724				
(ii) Cash & Bank Balances	6,747	1,22,471		85,413	
			7,08,376		6,71,318
IV. CURRENT ASSETS					
(a) Publications, Study Material & Stationery (at Cost)		6,44,706		3,89,337	
(b) Amounts receivable		6,36,270		5,27,804	
(c) Advances & Pre-payments		7,69,732		6,59,997	
(d) Cash & Bank Balances		8,43,932		8,56,366	
			28,94,640		24,33,504
TOTAL			90,94,481		87,81,536

NOTE.—1. These statements do not incorporate the accounts of a Regional Council, some of the Students Associations and Branches, from whom the accounts were not received. Consequently, a sum of Rs. 47,872/- (being the fees and grant-in-aid to them) has been included without allocation on the expenditure side of the income and expenditure account and a sum of Rs. 25,860/- being the net balance in respect of the said Regional Council, Students Associations and branches has been included under the head "Other Liabilities" in the Balance Sheet.

AUDITORS' REPORT

We have audited the Balance Sheet as at 31st March, 1975 of the Institute of Chartered Accountants of India and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date incorporating the Assets & Liabilities of Regional Councils, Students Associations and Branches and report that :—

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,
2. The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of Accounts.
3. In our opinion the accounts are maintained in conformity with the requirement of the Chartered Accountants Act, 1949.

2. Claims not acknowledged as debts estimated at Rs. Rs. 4,000/-.

P. S. GOPALAKRISHNAN,
Secretary.

P. M. NARIELVALA,
President.

S. R. SIRCAR,
Assistant Secretary.

B. R. MAHESWARI,
Vice-President.

NEW DELHI,
Dated, September, 25, 1975.

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us the statements with the schedules attached and annexures thereto, give a true and fair view:

(i) in the case of the Balance Sheet, of the State of affairs as on 31st March, 1975 and

(ii) In the case of the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

P. R. MEHRA, M. R. VENKATARAMAN,
Chartered Accountants.

NEW DELHI,
Dated, the 26th September, 1975.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

Fixed Assets as at 31st March, 1975

Annexure to Balance Sheet

SCHEDULE 'A'

Assets	Cost as at 31-3-74 Rs.	Additions during the year Rs.	Deductions during the year Rs.	Cost as at 31-3-75 Rs.	Depreciation as at 31-3-75 Rs.	Book Value as at 31-3-75 Rs.
1	2	3	4	5	6	7
1. *Land and Buildings* :						
1·1 Freehold Land						
Madras . . .	—	*1,12,500	—	1,12,500	—	1,12,500
Calcutta . . .	—	*1,14,404	—	1,14,404	—	1,14,404
1·2 Leasehold Land :						
New Delhi . .	2,159	—	—	2,159	—	2,159
·3 Buildings (including land) :						
Bombay . . .	4,51,178	—	—	4,51,178	1,22,100	3,29,078
Calcutta . . .	3,88,840	—	*3,88,840	—	—	—
1·4 Buildings :						
New Delhi . .	18,71,519	—	—	18,71,519	3,36,930	15,34,589
Madras . . .	4,97,369	—	*1,12,500	3,84,869	1,26,379	2,58,490
Kanpur (under construction) .	1,00,468	—	—	1,00,468	2,513	97,955
2. *Electric Installations, fittings etc.*						
2·1 New Delhi .	5,67,465	15,128	—	5,82,593	2,13,784	3,68,809
2·2 Regional Councils, Students Associations, their branches & others . .	19,840	551	—	20,591	10,782	9,609
3. *Air Conditioning Installations* :						
3·1 New Delhi .	5,17,041	8,884	—	5,25,925	3,02,223	2,23,702
4. *Lift*						
4·1 New Delhi . .	1,57,883	—	—	1,57,883	54,203	1,03,680
5. *Furnitures Fixtures* :						
5·1 New Delhi . .	4,12,714	32,118	—	4,44,832	1,96,596	2,48,236
5·2 Madras . .	—	6,302	—	6,302	299	6,003
5·3 Regional Councils, Students Associations, their Branches & others . .	2,85,681	28,028	—	3,13,709	1,28,098	1,85,611
6. *Office Equipment* :						
6·1 New Delhi . .	1,85,052	68,881	—	2,53,933	1,24,855	1,29,078
6·2 Madras . .	—	6,810	—	6,810	1,021	5,789
6·3 Regional Councils, Students Associations, their Branches & others . .	1,09,527	1,086	—	1,10,613	70,199	40,414

* Including transfers Rs. 2,26,904

1	2	3	4	5	6	7
7. *Motor Car* :						
7·1 New Delhi . .	23,580	—	—	23,580	8,489	15,091
8. *Library Books* :						
8·1 New Delhi .	2,87,781	40,599	—	3,28,380	2,47,028	81,352
8·2 Regional Councils, Students Associations, their Branches & others . .	3,08,155	45,721	—	3,53,876	2,38,911	1,14,965
	61,86,252	4,81,012	5,01,340	61,65,924	21,84,410	39,81,514

S. R. SIRCAR, Asstt. Secretary. P.S. GOPALAKRISHNAN, Secretary. B.R. MAHESHWARI, Vice-President. P.M. NARIELVALA, President.

P.R. MEHRA, M.R. VENKATRAMAN, Chartered Accountants.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Income & Expenditure Account For The Year ended 31st March 1975

	1974-75	1973-74
	Rs.	Rs.
I. *Income*		
(a) Members (As per annexure A/I)	17,25,389	15,69,235
(b) *Students* (As per annexure A/I)	37,30,926	32,12,856
	54,56,315	47,82,091
(c) *Miscellaneous*		
(i) Income from Property	31,835	30,710
(ii) Interest on General Fund Investment	64,168	46,035
Total Income	55,52,318	48,66,836
Deficit for the year	10,52,469	3,31,273
TOTAL . .	66,04,787	51,98,109
II. *Expenditure*		
(a) *Members* (As per annexure A/II)	24,61,543	19,89,286
(b) *Students* (As per annexure A/II)	41,43,244	32,08,823
TOTAL . . .	66,04,787	51,98,109

P. S. GOPALAKRISHNAN, Secretary. P.M. NARIELVALA, President. As per our report of even date

S.R. SIRCAR, Assistant Secretary. B.R. MAHESHWARI, Vice-President.

P.R. MEHRA, M.R. VENKATARAMAN, Chartered Accountants.

ANNEXURE A/I

THE INSTITUE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

Annexure to Income & Expenditure Account for the Year ending 31st March, 1975

S. No.	Heads of Accounts	Total		Members		Students	
		1974-75	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75	1973-74
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	I.—INCOME						
1	Entrance Fee	58,700	..	58,700	..	..	..
2	Membership Fee	12,22,966	11,24,410	12,22,966	11,24,410	..	..
3	Post Graduate Course Fee	11,500	11,300	11,500	11,300	..	..
4	Registration Fee	1,89,550	2,66,030	..	..	1,89,550	2,66,030
5	Students Association Fee	33,470	60,550	..	..	33,470	60,550
6	Coaching Fee	16,84,051	14,58,643	..	..	16,84,051	14,58,643
7	Examination Fee	15,11,610	11,90,350	..	..	15,11,610	11,90,350
8	Journal	2,55,990	2,25,428	2,55,990	2,25,428	..	..
9	Publications	2,55,155	1,83,865	70,027	46,734	1,85,128	1,37,131
10	Interest on Investments	1,58,103	95,366	72,293	43,385	85,810	51,981
11	Nomination Fees for elections	..	33,700	..	33,700	..	..
12	Others	75,220	1,32,449	33,913	84,278	41,307	48,171
13	Total	54,56,315	47,82,091	17,25,389	15,69,235	37,30,926	32,12,856

ANNEXURE A/II

	II.—EXPENDITURE						
1	Salaries & Staff Expenses	20,93,218	17,11,152	8,71,441	7,54,162	12,21,777	9,56,990
2	Premium for Gratuity	53,612	27,861	20,909	12,711	32,703	15,150
3	Printing & Stationery	2,50,200	1,47,996	1,43,950	85,487	3,06,250	62,509
4	Journal	3,21,697	2,09,161	1,86,154	1,68,881	1,35,543	40,280
5	Publications	4,13,275	3,13,071	4,13,275	3,13,071	..	..
6	Examination	9,54,110	6,77,406	..	..	9,54,110	6,77,206
7	Coaching	7,74,391	7,81,211	..	..	7,74,391	7,81,211

8	Postage, Telegrams & Telephones	2,17,520	1,67,714	1,00,114	64,952	1,17,406	1,024,762
9	Rates & Taxes	2,02,457	2,02,970	95,361	79,055	1,07,096	1,23,915
10	Repairs & Maintenance	92,116	72,039	45,768	27,299	46,348	44,840
11	Depreciation	2,92,008	2,93,707	1,38,671	1,11,305	1,53,337	1,82,402
12	*Travelling Expenses*						
	(a) Council Members	2,67,030	1,75,326	1,68,579	1,17,201	98,451	57,925
	(b) Staff & Others	87,069	59,532	36,394	20,405	50,675	39,127
13	Library	21,117	12,128	21,117	12,128	..	
14	Overseas Relations	18,926	20,008	18,926	20,008	..	..
15	Seminars etc. (Net)	23,826	24,018	22,248	24,018	1,578	..
16	Silver Jubilee (including Commonwealth Conference) (Net)	47,412	..	44,339	..	3,073	..
17	Pofessional Fees	52,802	62,696	20,827	33,039	11,975	29,657
18	Elections	..	95,337	..	95,357	..	..
19	Others	2,42,001	1,44,756	1,13,470	50,007	1,28,531	94,749
20	Total	66,04,787	51,98,109	24,61,543	19,89,286	41,43,244	32,08,823

S.R. SIRCAR, Assistant Secretary.

P.S. GOPALAKRISHNAN, Secretary.

B.R. MAHESHWARI, Vice-President.

P.N. NARIELVALA, President.

P.R. MEHRA, M.R. VENKATARAMAN, Chartered Accountants.

P. S. GOPALAKRISHNAN, Secy.

वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया

अधिसूचना

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1975

सं० 48–सी०ए० (1)/75.—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट 1949 के भाग 18 के उपभाग (5) के अनुसरण में, 31 मार्च 1975 को समाप्त हुए वर्ष के लिये कौंसिल की रिपोर्ट एवं आडिट किये हुए लेखे को प्रतिलिपि सामान्य सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है।

कौंसिल

1. कौंसिल के सदस्य और सकी विभिन्न समितियां

नवीं कौंसिल 17 सितम्बर, 1973 को गठित की गई थी। सितम्बर 1974 को सम्पन्न कौंसिल की मीटिंग में बनाई गई कौंसिल तथा उसकी विभिन्न स्थाई और अन्य समितियों के सदस्यों के नाम क्रमशः परिशिष्ट—I और II में दिये गये हैं।

2. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

श्री एन० सी० कृष्णन् (मद्रास) जो पिछले वर्ष उपाध्यक्ष थे, कौंसिल की सितम्बर, 1974 में हुई अपनी बैठक में 17 सितम्बर, 1974 से एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष चुने गये। उसी बैठक में श्री पी० एम० नारियलवाला (कलकत्ता) उसी अवधि के लिए उपाध्यक्ष चुने गये।

3. कौंसिल की बैठकें

वर्ष के दौरान कौंसिल की तीन बैठकें हुईं—पहली 19 और 20 जुलाई, 1974 को, दूसरी 13 और 14 सितम्बर, 1974 को और तीसरी 20 और 21 फरवरी 1975 को।

II. वित्त

1. एकाउण्ट्स

31 मार्च, 1975 तक की बैलेंस शीट और उस दिन समाप्त हुए वर्ष के लिए आडिट किये हुए आय और व्यय लेखे इस रिपोर्ट के अन्त में दिए गए हैं। वर्ष की आय व्यय लेखा रु० 10,52,469 का घाटा दिखाता है, जबकि गत वर्ष की रु० 3,31,273 का घाटा दिखाया गया था इस वर्ष घाटे की राशि अधिक होने का मुख्य कारण वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से कर्मचारी व्यय अधिक बढ़ने और लागत में सामान्य वृद्धि और विशेषकर कागज की लागत बढ़ना है। आगे घाटे को कम करने के लिए अनेक आन्तरिक आर्थिक पग उठाये गये हैं और अप्रैल, 1975 में बढ़ाये शुल्क जो पूर्णतः अपर्याप्त समझे गये के अतिरिक्त अप्रैल, 1976 से शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

2. आडीटर्स

सर्वश्री पी० आर० मेहरा और एम० आर० वेंकटरमन, 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भी इंस्टीट्यूट के आडीटर्स बने रहे।

III. सदस्य

1. सदस्यता

इंस्टीट्यूट के सदस्यों की संख्या 31 मार्च, 1975 को 15372 थी, जो 31 मार्च, 1974 से 1061 अधिक थी। रिपोर्ट वर्ष के दौरान 426 एसोसियेट फैलो के रूप में नामांकित किये गये, जबकि गत वर्ष इनकी संख्या 441 थी। परिशिष्ट—III में सदस्यों का वर्गीकरण दिया गया है।

2. सदस्यों द्वारा देय शुल्क मे वृद्धि

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया था एक दशी के बाद सदस्यों द्वारा देय शुल्क में 1 अप्रैल, 1975 से वृद्धि की गई थी। इस वृद्धि की मात्रा फरवरी 1974 में निश्चित की गई थी जो बाद में हुई लागत वृद्धि के फलस्वरूप पूर्णतः अपर्याप्त समझी गई और शुल्क में पुनः वृद्धि अनिवार्य मानी गई। वर्तमान आय और आगामी पांच वर्ष में सम्भाव्य व्यय के आधार पर सन् 1979–80 के अन्त तक रु० 68.39 लाख का संचयी घाटा दिखाई देता है। यह ऐसी स्थिति है जिसका समत्व के साथ विचार नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सभी प्रकार से मितव्ययता बरतने के बाद शुल्क में आगे वृद्धि प्रस्तावित करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था ताकि आय और व्यय के अन्तर को दूर किया जा सके।

1 अप्रैल 1976 से प्रस्तावित संशोधित शुल्क निम्न प्रकार है:—

	से	तक
एसोसिएट सदस्य	रु० 45.00	रु० 60.00
फैलो सदस्य	रु० 110.00	रु० 150.00
प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट	रु० 75.00	रु० 150.00

यह भी निर्णय किया गया है कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एक्ट में संशोधन किया जाये ताकि प्रवेश शुल्क में बनने वाले एसोसिएट सदस्य के लिए रु० 300/– से रु० 500/– और फैलो सदस्य बनने के लिए रु० 200/– से रु० 500/– की वृद्धि कर दी जाये।

3. प्रैक्टिस करने की सर्टिफिकेट की नई प्रणाली

दि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रैगुलेशन्स में संशोधन करने के बाद प्रति वर्ष करने की सर्टिफिकेट के नवीकरण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। सभी सदस्यों को, जो 1 जुलाई, 1975 को प्रैक्टिस कर रहे थे, नये फार्म में प्रैक्टिस करने की नवीयन सर्टिफिकेट बिना एक वर्ष मान्यता की सीमा के जारी कर दी गई हैं। संशोधित रैगुलेशन्स में यह व्यवस्था की गई है कि प्रैक्टिस कर रहे सदस्य ने सम्बन्धित वर्ष के लिए अपनी वार्षिक प्रैक्टिस करने की सर्टिफिकेट का शुल्क 31 जुलाई तक अदा नहीं किया तो उसकी प्रैक्टिस करने के सर्टिफिकेट उस वर्ष के 1 अगस्त से रद्द मानी जायेगी।

4. दक्षिण क्षेत्र के विद्यार्थियों और सदस्यों के रजिस्ट्रेशन का विकेन्द्रीकरण

दक्ष सेवा प्रदान करने और इंस्टीट्यूट को सदस्यों और विद्यार्थियों के और समीप लाने के उद्देश्य से मद्रास में दक्षिण भारत क्षेत्र के सम्बन्ध में आर्टिकिल्ड और आडिट क्लर्कों के रजिस्ट्रेशन और सदस्यों को नामांकन करने के कार्य का 1 नवम्बर, 1974 से विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के विकेन्द्रीकरण की सम्भावना विचारणीय है।

5. अनुशासनात्मक कार्यवाही

रैगुलेशन 11(8)(I) के अधीन पिछली रिपोर्ट के बाद अनुशासनात्मक समिति की जांच के लिये भेजे गये मामलों और कौंसिल के निष्कर्ष का ब्यौरा परिशिष्ट 4 में दिया गया है।

6. सदस्यों की सूची

1 अप्रैल, 1975 तक के सदस्यों की सूची प्रकाशित की जा रही है और जिन सदस्यों ने प्रतियां की मांग की है, वह उन्हें भेज दी जायेगी।

7. सदस्यों का निधन

कौंसिल खेद के साथ वर्ष के दौरान सदस्यों की हुई दुःखद निधन की सूचना रिकार्ड करती है, जिनके नाम परिशिष्ट 5 में दिये गये हैं।

IV. आर्टिकिल्ड और आडिट क्लर्क

1. नये नामांकिन

वर्ष के दौरान पंजीकृत आर्टिकिल्स और आडिट क्लर्कों की संख्या पिछले वर्ष पंजीकृत की तुलना में निम्नांकित है :—

	1974–75	1973–74
आर्टिकिल्ड क्लर्क	3523	4043
आडिट क्लर्क	36	2070

अप्रैन्टिस के पंजीकरण में कमी के निम्नांकित कारण हैं:—

(क) अप्रैन्टिसशिप में सीधे प्रवेश के लिए लगाया गया प्रतिबन्ध, केवल वहीं स्नातक ग्राह्य हैं जो अपनी डिग्री परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं; तथा

(ख) आडिट क्लर्क के रूप में पंजीकरण पर लगाया गया प्रतिबन्ध, केवल वही ग्राह्य हैं जिन्होंने सम्बन्धित सदस्यों के यहां मासिक वेतन प्राप्त कर्मचारी के रूप में कार्य किया है और न्यूनतम रु० 150 मासिक वेतन प्राप्त किया है ।

2. आर्टिकिल्ड/आडिट क्लर्कों के पंजीकरण की तिथि

जैसा कि गत वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित है, कौंसिल ने निर्णय किया है कि ट्रेनिंग आरम्भ करने की चार निश्चित तिथियों अर्थात् 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर की वर्तमान आवश्यकता को हटा दिया जाये। इस सम्बन्ध में जब तक रेगुलेशन्स में संशोधन होता है (जिसके लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।) कौंसिल ने अध्यक्ष को प्राधिकृत किया है कि उन विद्यार्थियों के अनुरोध पर ट्रेनिंग आरम्भ करने की तिथि में छूट दे दी जाये जिनके डिग्री परीक्षा के परिणाम देरी से घोषित होने के कारण बेउपयुक्त चार तिथियों में से किसी एक तिथि से अपनी ट्रेनिंग आरम्भ न कर सके।

3. पंजीकरण शुल्क

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रशासन लागत में वृद्धि हुई है, कौंसिल ने आर्टिकिल्ड और आडिट सेवा के पंजीकरण के लिए शुल्क क्रमशः रु० 40 और रु० 30 से दोनों मामलों में बढ़ा कर रु० 50 कर दिया है ।

कौंसिल ने यह भी निर्णय दिया है कि—एक नियोक्ता से दूसरे के यहां तबादले अथवा आर्टिकिल्ड सेवा सौंपने के सभी मामलों में, तथा एक नियोक्ता से दूसरे के यहां आडिट सेवा के तबादले के सभी मामलों में, जहां वर्तमान में कोई शुल्क देय नहीं है, पंजीकरण शुल्क रु० 20 लिया जाये ।

इस उद्देश्य के लिए सम्बन्धित रेगुलेशन में संशोधन किये जा रहे हैं ।

4. आर्टिकिल्ड क्लर्कों को वृत्तिका

दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अक्टूबर, 1974 अंक में प्रकाशित एक नोट में यह उल्लिखित था कि कुछ सदस्यों ने रैगुलेशन 32 बी की वैधता को, जिसमें 1 जुलाई, 1973 को अथवा उसके बाद ट्रेनिंग आरम्भ करने वाले आर्टिकिल्ड क्लर्कों को वृत्तिका का भुगतान करने का दायित्व सौंपा गया है, कलकत्ता और मद्रास के उच्चतम न्यायालयों में चुनौती दी थी और उक्त न्यायालयों के समक्ष मामले विचाराधीन थे । नोट में यह लिखा गया था कि इस बारे में प्रश्न पूछे गये कि उपर्युक्त याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए, कि सदस्यों के लिए अपने आर्टिकिल्ड क्लर्कों को, विशेष कर उपर्युक्त दो न्यायालयों के क्षेत्राधीन क्षेत्रों में, वृत्तिका अदा करना आवश्यक है । नोट में यह स्पष्ट किया गया कि न्यायालयों द्वारा दिया गया स्टे केवल माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन मामलों तक ही सीमित था, और अन्य सदस्यों को वृत्तिका अदा करने के दायित्व को उससे कोई अन्तर नहीं आता ।

उक्त नोट के प्रकाशन के बाद, "दि सोसायटी आफ आडीटर्स", मद्रास ने इस विषय पर मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की और रैगुलेशन 32 बी के प्रवर्तन के लिए आरम्भ में एक अन्तरिम स्टे प्राप्त कर लिया । इंस्टीट्यूट की ओर से दी गई याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने अन्तरिम स्टे आर्डर को रद्द कर दिया ।

रैगुलेशन 32 बी में व्यवस्था है बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, नई दिल्ली, मद्रास और कानपुर के नगरों में वृत्तिका की अदायगी की दर ट्रेनिंग के प्रथम वर्ष में रु० 60 प्रति माह, ट्रेनिंग के द्वितीय वर्ष में रु० 100 प्रति माह और ट्रेनिंग की तृतीय वर्ष में रु० 150 प्रति माह होगी

कौंसिल ने निर्णय किया है कि उच्चतर दर पर वृत्तिका अदा करने के मामले में "कानपुर" के सन्दर्भ को निकाल दिया जाये, ताकि रैगुलेशन 32बी में आवश्यक संशोधन के बाद, कानपुर में वृत्तिका उपर्युक्त दर की आधी देय होगी ।

5. औद्योगिक प्रशिक्षण

उन संस्थानों के लिए, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें कोई वृत्तिका नहीं देते थे अथवा वृत्तिका प्रतिमास रु० 150 से कम देते थे, एक अपील जारी की गई कि वे उन्हें न्यूनतम रु० 150 प्रति माह वृत्तिका अदा करें

उन महत्वपूर्ण संस्थानों को, जो वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण नहीं देते, एक और अपील जारी की गई कि वे अपने संगठनों में यह सुविधा करायें ।

6. आर्टिकिल्ड सेवा समाप्ति पर सर्टिफिकेट का नया फार्म

कौंसिल ने निर्णय किया है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रैगुलेशनस में संशोधन करके आर्टिकिल के अधीन ट्रेनिंग सामान्य तिथि को पूर्ण होने से पूर्व ही समाप्त करने की स्थिति में सेवा की सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक प्रथक फार्म (फार्म नं० 20 ए) की व्यवस्था की जाये। सर्टिफिकेट छपे हुए फार्म पर जारी किए जायेंगे जो सचिव से प्राप्त करना होगा ? ऐसे फार्म पर इंस्टीट्यूट की मुहर और उसके जारी करने की तिथि होगी और यह उसके बाद केवल 60 दिन की अवधि के लिए ही मान्य होगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन्स में इस सम्बन्ध में संशोधन करने के लिए उचित कदम उठाये जा रहे हैं।

7. कोचिंग बोर्ड

(क) **विद्यार्थियों के नामांकन.**—विद्यार्थियों के नामांकन एवं अन्य सम्बन्धित मामलों की सांख्यकीय परिशिष्ट 6 में दी गई है

(ख) **अध्ययन सामग्री.**—विद्यार्थियों को दी जाने वाले अध्ययन सामग्री को पूर्वानुसार निरन्तर आधुनिकतम बनाया जा रहा है साथ ही, बोर्ड इंस्टीट्यूट के जरनल में नियमित रूप से फीचर्स दे रहा है, जो संक्षिप्त में वर्तमान घटनाएं,एकाउन्टिगं और ऑडिटिंग से सम्बन्धित विदेशी जरनलों में प्रकाशित महत्वपूर्ण आर्टिकलों का सारांश और आयकर और कम्पनी मामलों का डाइजेस्ट देता है।

(ग) **विद्यार्थी लायब्रेरी.**—विद्यार्थी लाइब्रेरियों की कुल संख्या 29 रही, जिनमें क्षेत्रीय हैडक्वार्टरों में स्थित लाइब्रेरी भी सम्मिलित है।

(घ) **दुहराने की कक्षायें.**— ये लोकप्रिय रहीं और क्षेत्रीय हैडक्वार्टर्स स्थित केन्द्रों के अतिरिक्त अनेक केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। मद्रास में इंटेन्सीफाइड पाठ्यक्रम लोकप्रिय बना रहा। बोर्ड के निर्णयानुसार, जिसका उल्लेख गत वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था, नये रैगुलेशन्स के अधीन इंटरमीडिये ट परिक्षा के लिए चार-मासीयकक्षाओं के दो सत्र मद्रास और एक-एक सत्र दिल्ली और बम्बई में आयोजित किये गये। जिन विद्यार्थियों की कक्षाओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत है और जिन्होंने संतोषजनक रूप में ट्यूटोरियल का 75 प्रतिशत पूरा कर लिया है, उन्हें बोर्ड के प्रश्न पत्रों के उत्तर देने में छूट दे दी जायेगी।

(च) **प्रकाशन.**—इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं में रखे गये प्रश्नों के सुझाए गये उत्तर के वाल्यूमों के सम्बन्ध में कोचिंग बोर्ड अत्याधुनिक है, नवम्बर 1974 सम्बन्ध परीक्षाओं के वाल्यूम भी प्रकाशित किये जा चुके हैं।

(छ) **योग्यता एंव ऋण छात्रवृत्तियां.**— रिपोर्ट की अवधि के दौरान 10 योग्यता एवं 41 ऋण छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

(ज) **विभिन्न.**—बोर्ड के निर्णयानुसार जो इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके लिए एक वैकल्पिक पत्राचार पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाये, विचाराधीन अवधि के दौरान 498 विद्यार्थियों ने यह पाठ्यक्रम लिया ।

8. **विद्यार्थी एसोसियेशन और उनकी शाखाएं**

विद्यार्थी एसोसियेशनें और उनकी शाखाएं सभी क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, केन्द्रीय और दक्षिण में काम करती रही । इनमें से कुछ सक्रिय थीं और उन्होंने कांफ्रेंस, सेमिनारें, लैक्चर्स, स्टडी सर्किल मीटिंग आदि आयोजित कीं ।

पश्चिम भारत चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन की उक्त शाखा 1 अक्तूबर, 1974 से सूरत में खोली गई ।

V. परिक्षाएं

1. **परिक्षाएं 1974**

सम्पूर्ण भारत में केन्द्रों पर मई और नवम्बर, 1974 में परीक्षाएं यथावत हुईं । परीक्षार्थियों की संख्या एवं जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया और जो उत्तीर्ण हुए उनका सांख्यिकीय ब्यौरा परिशिष्ट 7 में दिया गया है ।

2. **पुरस्कार और योग्यता प्रमाण पत्र**

मई और नवम्बर, 1974 को हुई परीक्षाओं में जिन परीक्षार्थियों को पुरस्कार एवं योग्यता-प्रमाण पत्र प्रदान किये गये, उनके नाम परिशिष्ट 8 में दिये गये हैं ।

3. **परीक्षार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही**

कौंसिल ने 5 अभ्यार्थियों को, जिन्हें परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया गया, विभिन्न अवधियों के लिए परीक्षा में बैठने के अयोग्य घोषित कर दिया है ।

4 **प्रवेश.—परीक्षा के कुछ प्रश्नपत्रों में वाणिज्य स्नातकों को छूट**

कौंसिल ने निर्णय किया है कि वाणिज्य स्नातकों को जिन्हें डिग्री परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए हैं और उसके फलस्वरूप चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक होती है, उन्हें प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र 1, अर्थात् लेखे के तत्व, और प्रश्न पत्र 4 अर्थात् सामान्य वाणिज्य ज्ञान और अर्थशास्त्र में छूट दे दी जाये । इस निर्णय को लागू करने के लिए रैगुलेशन्स में संशोधन किया जा रहा है ।

VI. व्यावसायिक विकास

1. **आत्म-नियंत्रित—उपाय**

कौंसिल ने दिसम्बर, 1970 में कुछ आत्म-नियंत्रित उपाय उठाने का निर्णय किया था ताकि सदस्यों के बीच व्यावसायिक कार्य के समान प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके । ये इंस्टीट्यूट के जनरल में प्रकाशित किये गये थे । इन उपायों की धारा 4 में व्यवस्था है कि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स की कोई फ़र्म जो आडिट का कार्य करती है, उसमें पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और स्टेचुरी

कार्पोरेशनों, जिनकी पेड-अप शेयर केपिटल कम से कम रु० 1 लाख प्रत्येक थी, के पांच आडिटों के लिये कम से कम एक सदस्य होना चाहिए ।

इस तथ्य को ध्यान में रहते हुए कम्पनी कानून में स्वयं ही आडिट की अधिकतम संख्या निश्चित कर दी गई है, कौंसिल ने निर्णय किया है कि आत्मनियंत्रित उपायों में से उपयुक्त धारा 4 निकाल दी जाये ।

2. पूर्ण कालिक सेवा के सदस्य जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्मों में पार्टनर हैं, आडिट की सीलिंग के नियम के दुरुपयोगों न माने जायें

कौंसिल ने कम्पनी कानून में आडिट की संख्या की सीलिंग सम्बन्धी नियम के दुरुपयोग की संभावना पर विचार किया है, ऐसे मामलों में जहां सदस्य पूर्ण-कालिक सेवा में हैं और प्रैक्टिस कर रही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फ़र्मों में साझेदारी मिल जाती है और जिससे फ़र्म को कम्पनी आडिट का अधिक कोटा प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है । कौंसिल ने निर्णय किया है कि कम्पनी मामलों के विभाग को कम्पनी कानून में संशोधन करने का एक सुझाव दिया जाये कि यदि कोई सदस्य जो पूर्ण-कालिक सेवा में है, प्रैक्टिस कर रही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म में पार्टनर है, उसे कम्पनी आडिट की संख्या की सीलिंग के उद्देश्य के लिए न गिना जाये ।

कौंसिल ने आगे यह भी निर्णय किया है कि आत्म-नियंत्रित-उपायों में एक उचित धारा जोड़ी जाये, जिसमें यह उल्लखित हो कि उपर्युक्त कम्पनी कानून में संशोधन होने तक, कार्य प्रैक्टिस कर रही चार्टर्ड एकाउटैन्ट्स की फर्म आडिट की संख्या के उद्देश्य के लिए न गिनी जाये, फर्म कम्पनी एक्ट के भाग 224 की व्यवस्थाओं के अधीन कितने भी पार्टनर्स जो पूर्ण-कालिक सेवा में हैं, स्वीकार कर सकती है ।

3. 10 वर्ष से कम प्रैक्टिस वाले सदस्यों को केवल लघु आडिट के लिये ही नियुक्ति की जाए

एक अन्य निर्णय जो कौंसिल द्वारा किया गया है वह व्यवसाय के कनिष्ठ सदस्यों को सहायता प्रदान करने हेतु यह है कि कम्पट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल आफ इन्डिया को यह सुझाव दिया जाए कि सरकारी कम्पनियों और निगमों, जिनका आडिट शुल्क रु० 2,500 से अधिक नहीं है, के आडिटरों के रूप में केवल उन सदस्यों की ही नियुक्ति की जाए जिन्हें दस वर्षीय पूर्ण कालिक प्रैक्टिस का अनुभव है । साझेदारी फर्मों के मामले में, यह नियम उन सभी फर्मों पर लागू हो जहां सभी पार्टनर 10 वर्षीये पूर्ण-कालिक प्रैक्टिस से कम का अनुभव रखने वाले सदस्य हों ।

कौंसिल ने यह भी निर्णय किया है कि आत्म-नियंत्रित उपायों में एक उपयुक्त धारा इस संबंध में जोड़ दी जाए ।

4. सरकारी संस्थानों और निगमों के मामले में आडिट शुल्क निश्चित करने के लिए कमेटी

कौंसिल ने प्रेजिडेन्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की है, जो सरकार के प्राधिकारियों से सरकारी संस्थानों और निगमों द्वारा अदा किए जाने वाले आडिट शुल्क निश्चित करने के बारे में उपयुक्त मार्ग दर्शनहेतु निर्देश देने के विषय में वार्तालाप करेगी ।

5. साझेदारी फर्मों के लेखे के अनिवार्य आडिट

कौंसिल ने सन् 1971 में तत्कालीन कम्पनी मामलों के मंत्री श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी को पार्टनरशिप एक्ट में संशोधन करने हेतु एक प्रस्ताव किया था जिसमें साझेदारी के लिए निश्चित

मात्रा में अनिवार्य आडिट की आवश्यकता पर बल दिया था, लेकिन सरकार ने सूचित किया था कि टैक्सेशन लांज (एमेन्डमेंट) बिल, 1973 की धारा 39 में दी गई व्यवस्थाओं के अधीन पार्टनरशिप एक्ट में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है । अब उपर्युक्त बिल संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और बिल की उपर्युक्त धारा 39 में भारी परिवर्तन किया गया है, कौंसिल ने यह निर्णय किया है कि सरकार से मूल प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाए ।

6. चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स को चीफ एकाउन्टैंट्स आदि के रूप में नियुक्ति

सरकार को एक सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक कम्पनी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों जिनकी शेयर पूंजी रु० 25 लाख से अधिक अथवा जिनका व्यापार रु० 1 करोड़ से अधिक है, में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को अनिवार्य रूप से चीफ एकाउन्टेन्ट्स अथवा लेखा विभाग का प्रमुख नियुक्त किया जाए । सरकार को दिए गए प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीफ एकाउन्टेन्ट की ड्यूटीज कम्पनी सचिव से कम दूभर नहीं है और कम्पनी सचिव की नियुक्ति कानून के अन्तर्गत अनिवार्य है ।

आगे यह भी, कि लेखे कि उचित रखरखाव के लिए एवं हमारे देश में निगम-विधान के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को ध्यानमें रखते हुए, इस प्रकार की नियुक्त बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ।

इस बात पर जोर दिया गया कि चार्टर्ड एकाउन्टेंन्ट्स की नियुक्ति के लिए कम्पनी एक्ट में व्यवस्था के फलस्वरूप शेयर होल्डरों, कराधान प्राधिकारियों, वित्तीय संस्थानों के लेखों के रखरखाव और अनुशासन बनाए रखने में बहुत लाभ होगा ।

ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजिज को भी एक प्रतिवेदन किया गया है जिसमें इस बात पर बल दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां और संस्थानों में अधिकाधिक चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स की नियुक्ति, वित्तीय निदेशकों और नियंत्रक के रूप में की जाए ।

7. कम्पनी सचिवों के रुप में चार्टर्ड एकाण्टेंट्स की नियुक्ति

सदस्यों को यह ज्ञात ही है कि 1 फरवरी, 1975 से कम्पनीज (एमैन्डमेंन्ट) एक्ट 1974 द्वारा एक नवीन सैक्शन 383ए बनाया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि प्रत्येक कम्पनी जिसकी पेड-अप पूंजी रु० 25 लाख अथवा अधिक है, उसके यहां एक पूर्णकालिक सचिव होगा, एक्ट की धारा 2(45) में भी संशोधन किया गया है और यह व्यवस्था की गई है कि सचिव केवल वही व्यक्ति विशेष होगा जिसमें कि निर्धारित योग्यताएं हों । अधिसूचना दिनांक 7 मार्च, 1975 द्वारा भारत सरकार ने नियम बनाए हैं जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि उन कम्पनियों के मामले में जिनकी पेडअप शेयर पूंजी रु० 25 लाख या अधिक है, मुख्य निर्धारित योग्यता इंस्टीट्यूट आफ कम्पनीज सैक्रेटरीज आफ इन्डिया की सदस्यता होगी, जिसमें यह भी व्यवस्था होगी कि (1) फरवरी, 1975 में 5 वर्ष की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स लंदन का सदस्य भी नियुक्ति के लिए ग्रहय होगा, (2) वर्तमान कम्पनी सचिव कम्पनी के कार्यालय में लगातार कार्य करने के सीमित उद्देश्य के लिए ही आवश्यक योग्यताएं धारक माने जाएंगे ।

कौंसिल ने सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का विरोध किया है जोकि इंस्टीट्यूट के सदस्यों के समुचित और सही दावों की अवहेलना करती है, जिससे वे सचिव के पद के लिए अपने प्रशिक्षण योग्यता का अनुभव के आधार पर अधिकारी होते हैं, इस मामले में संबंधित प्राधिकारियों से आग बातचीत जारी है ।

8. अन्य संस्थाओं की सदस्यता

कौसिल ने निर्णय किया है कि इंस्टीट्यूट के सदस्यों को अन्य संस्थाओं के सदस्य बनने की उस सीमा तक अनुमति दी जाये जब तक कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट और उसके अधीन बनाये गये रैगुलेशन्स का उल्लंघन न ही होता । ये आचार संहिता से सम्बन्धित है जिनका पालन इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा अपेक्षित है, विशेषकर व्यावसायिक कार्य के लिए विज्ञापन और पक्ष-प्रचार के मामले में / उसी के साथ-साथ सदस्यों का ध्यान एक्ट के भाग 7 की ओर आकर्षित किया जाता है जो पद संज्ञा और पद-नाम शब्दों के प्रयोग से सम्बन्धित है ।

9. वर्णन का प्रयोग—मैनेजमेंट कन्सलटैन्सी डिवीजन आन लेटर हैड आदि

मैनेजमेंट कन्सलटैन्सी सर्विसेज के लिये सदस्यों की अनुमति प्रदान करने और चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एक्ट और उसके सम्बन्धी रेगुलेशन्स मे कुछ छूट देने की एक योजना "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स" की अप्रैल, 1973 अंक में प्रकाशित हुई थी । एक प्रश्न उठाया गया कि सांविधिक संशोधन होने तक और ऐक्ट की वर्तमान व्यवस्थाओं के ढांचे के अधीन, प्रैक्टिस कर रहा एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की एक फर्म अपने लेटर-हैड्स अथवा अन्य रूप में क्या यह सूचित कर सकती है कि वह मैनेजमेंट कसल्टेंसी सेवाएं प्रदान करता है । एक निश्चित प्रश्न यह उठता है कि क्या "मैनेजमेंट कन्सल्टेन्सी डिवीजन" शब्द उनके द्वारा या तो उनके पद-संज्ञा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अतिरिक्त प्रयोग किये जा सकते हैं अथवा नही ।

कौंसिल को यह परामर्श दिया गया है कि वर्तमान सांविधिक अपेक्षिताओं को ध्यान मे रखते हुए इस प्रकार के वर्णन अथवा उसका प्रयोग वर्जित है । तदनुसार सदस्यों को परामर्श दिया जाता है कि वे इस प्रकार के वर्णन जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेशन डिवीजन, टैक्सेशन डिवीजन आदि का प्रयोग अपने लेटर-हैड, विजीटिंग कार्ड, नाम प्लेट पर न करे ।

10. व्यावसायिक विकास समिति

(क) "आर्गेनाइजेशन आफ ए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स" पर एक अध्ययन प्रकाशित कर दिया गया है ।

(ख) शुगर इन्डस्ट्री और सीमेंट इन्डस्ट्री के आडिट के लिये एक तकनीकी गाइड को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और वह छप रही है ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के आडिट के लिये आडिटरों का पैनल बनाने के सम्बन्ध में बैंकिंग विभाग, भारत सरकार को एक प्रतिवेदन दिया गया था ।

(घ) बगलौर मे जून, 1975 मे एक नैशनल कान्फ्रेंस आफ एकाउन्टेन्ट इन इन्डस्ट्री आयोजित की गई है ।

11. अनुसन्धान

(क) आयकर एक्ट, 1961 के भाग 35 (i) (ii) के अर्थ में वैज्ञानिक अनुसन्धान करने के लिए एक स्थापित इंस्टीट्यूट के रूप में इंस्टीट्यूट को मान्यता मिली हुई है । आशा है, यह मान्यता हमारे व्यवसाय के सदस्यों से उदार योगदान आकर्षित करेगी । साथ ही, अन्य भी इस इंस्टीट्यूट द्वारा किये गये वैज्ञानिक अनुसन्धान की गति को तीव्र करने के लिये सहायक होंगे ।

उपर्युक्त मान्यता के फलस्वरूप निम्नलिखित से वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए प्राप्त दान को कौंसिल साभार स्वीकार करती है : -

मैसर्स सी० सी० चौक्सी एण्ड कं० बम्बई . .	रु० 50,000
मैसर्स नौशीर एम मारफतिया एण्ड कं०, अहमदाबाद . .	रु० 10,001

(ख) गैर-बैंकिंग कम्पनियों से जमा राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि गैर-बैंकिंग कम्पनियों, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अध्ययन-ग्रुप से मिले ।

(ग) निम्नांकित अनुसन्धान अध्ययन जारी कर दिये गये हैं :

(1) कास्ट आडिट की गाइड

(2) लेखों में ट्रीटमेन्ट आफ रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी के विवरण का द्वितीय संशोधित संस्करण ।

(घ) इंडस्ट्रियल अलकोहल और शूगर इंडस्ट्रीज के लिये कास्ट एकाउंटिंग रिकार्ड रूल्स पर इस्टीट्यूट के विचारों को कम्पनी कानून विभाग को प्रेषित कर दिया गया था ।

(ङ) मैसर्स हिन्दुस्तान लिवर लि० बम्बई के सहयोग से अनुसन्धान समिति ने एक अनुसंधान प्रोजेक्ट एकाउन्टिंग फार इंफ्लेशन' पर कार्य आरम्भ कर दिया है ।

(च) एक एक्सपोजर ड्राफ्ट "ट्रीटमेंट आफ फ्यूएटिंग फारन एक्सचेंज रेटस इन एकाउन्ट्स" पर जनरल में प्रकाशित किया गया था और सदस्यों के विचार आमंत्रित किये गये थे ।

12. शील्ड पैनल

सर्वोत्तम लेखा प्रस्तुत करने के लिये हुई प्रतियोगिता में प्राप्त 106 प्रविष्टियों पर विचार करने के बाद निम्नांकित पुरस्कार प्रदान किये गये :—

वर्ष 1972–73 में सर्वोत्तम लेखा प्रस्तुत करने पर शील्ड

इस वर्ष कोई भी वार्षिक लेखा इस प्रतियोगिता के लिये प्राप्त नहीं हुआ, जिसे रजत शील्ड दी जा सकती ।

अत्याधिक प्रशंसित लेखों के लिए पट्टिका (प्लाक्स)

भारत कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०—31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त वर्ष के लिये ब्रिटेनिया बिस्कुट लि०—31 मार्च, 1972 को समाप्त वर्ष के लिये फिलिप्स इंडिया लि०—31 दिसम्बर 1973 को समाप्त वर्ष के लिये ।

13 टैक्सेशन समिति

(क) कर के उद्देश्यों के लिये, जिसमें कि सदस्यों ने विशेष रुचि दिखाई थी, अनिवार्य आडिट के विषय पर पूरक विचार संसद की सलेक्ट कमेटी को प्रस्तुत किये गये जिसमें बल दिया गया कि अनिवार्य करके आडिट सम्बन्धी मूल व्यवस्थाओं को बनाये रखा जाये ।

(ख) जैसा कि कौंसिल ने प्राधिकृत किया था, समिति ने कर के टालमटोल पर अनुसन्धान प्रोजेक्ट सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किये, परन्तु योजना आयोग ने अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट को लिखा है कि प्रोजेक्ट के लिये वित्त य सहायता देना उसके लिये सम्भव नहीं है। फिर भी, इस विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुये यह प्रस्तावित किया गया है कि आयकर एक्ट, 1961 की धारा 35(2ए) के अधीन इस अनुसन्धान प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिये सरकार से सम्पर्क किया जाए, ताकि इंस्टीट्यूट के लिये यह सम्भव हो सके कि वह स्वयं इस कार्य को करने के लिए वित्तीय सहायता जुटा सके।

(ग) इंस्टीट्यूट का एक शिष्ट-मंडल संसद् की सलेक्ट कमेटी से मिला और सलेक्ट कमेटी को दिल्ली सेल्स टैक्स बिल, 1973 में निहित प्रस्तावित व्यवस्थाओं के बारे में मौखिक प्रमाण प्रस्तुत किये।

(घ) वित्त मंत्री को प्रस्तुत प्री-बजट और पोस्ट-बजट ज्ञापन के अतिरिक्त, समिति ने निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किये और उनके परिणाम प्रत्येक के आगे दिये हुये हैं : —

(1) वास्तविक लागत के आधार पर देसी कारों के मूल्य ह्रास, भत्ता प्राप्ति इस बात को ध्यान में रखते हुये कर-दाता ने क्या मूल्य अदा किया है पर प्रतिवेदन दिया और उसे स्वीकार कर लिया गया है और वित्त एक्ट, 1975 में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं।

(2) आयकर के रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी के मामलों में ब्याज को छोड़ देने के लिये प्रतिवेदन, यदि देरी अपरिहार्य अथवा जानबूझकर नहीं की गई है—विचाराधीन है।

(3) अनुलाभ के मूल्यांकन के लिये वर्तमान नियमों में संशोधन करने के लिये प्रतिवेदन—विचाराधीन है।

(4) विदेशी निवेषों के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये नये मार्ग-निर्देशन आदेशों को क्रियान्वित करने से कर दाताओं के समक्ष आने वाली वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रतिवेदन—विचाराधीन है।

(5) होल्डिंग कम्पनियों द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व सहायक कम्पनियों को हस्तांतरित परिसम्पत्तियों और इसकी ओर से भी इसी प्रकार, में आने वाली वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रति वेदन—विचाराधीन है।

(6) अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन—विचाराधीन है।

(7) कम्पनियों के अकथ्य-शेयरों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन-विचाराधीन है।

(8) अनिवार्य जमा मूल्य के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर में छूट प्राप्त करने के लिये प्रतिवेदन—बोर्ड ने हमारे सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की है।

(9) ग्रेच्युटी के लिये व्यापार अथवा व्यवसाय के लाभ और फायदे की गणना करने के सम्बन्ध में उपबन्धों को निकालने के बारे में प्रतिवेदन—बोर्ड ने हमारे सुझाव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकाट की है

(10) विदेशी नागरिकों के लिए एडीशनल एमोलूमेंट्स (कम्पलसरी डिपोजिट) स्कीम, 1974 को लागू करने से छूट प्राप्त करने के लिये प्रतिवेदन—बोर्ड ने हमारे सुझाव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

(11) आयकर एक्ट के भाग 80 एच एच और 80 जे (6ए) के अधीन आडिट रिपोर्ट के फार्मो के बारे में प्रतिवेदन—हमारे द्वारा सुझाये गये आडिट रिपोर्ट के फार्म और भाग 80 एच एच के आधीन बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्म समान है ।

(12) चैक द्वारा करों के भुगतान के बारे में प्रतिवेदन—सिद्धांतरूप में स्वीकार ।

(13) एडीशनल एमोलूमेंट्स (कम्पलसरी डिपोजिट) स्कीम, 1974 के अधीन आडिट के बारे में प्रतिवेदन—बोर्ड ने हमारे सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की है ।

14. **कम्पनी कानून समिति :**

समिति ने अनेक मामलों पर विचार किया और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नांकित हैं :—

(क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट के भाग 45 एम ए के उपबन्धों, कम्पनी आडीटरों की अतिरिक्त ड्यूटी निक्षेपण करना, के बारे में सरकार को प्रतिवेदन ।

(ख) कम्पनी लेखों में कराधान के लिये गैर-व्यवस्थाओं का विवरण जारी करना ।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट के भाग 45 एम ए के अधीन आडीटरों की ड्यूटीज पर मार्ग-दर्शन नोट के एक्सपोजर ड्राफ्ट को अन्तिम रूप देना ।

कम्पनीज (संशोधन) एक्ट, 1974 के लागू करने के बाद अपने किस्म की पहली एक सेमिनार "रीसेन्ट ट्रेन्ड्स इन कम्पनी लैजिसलेशन" विषय पर नई दिल्ली में 23 और 24 अगस्त, 1975 को आयोजित की गई ।

15. **पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम समिति**

(क) वर्ष के दौरान हुई मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी कोर्स परीक्षोंओं के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट 9 में दिया गया है ।

(ख) गहन अध्ययन के लिये मूल पाठ्य पुस्तकों की सूची और मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम के प्रश्न-पत्र (1) और (2) के लिये संदर्भ पुस्तकों को संशोधित किया गया ।

(ग) मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम के लिये विभिन्न केन्द्रों पर कार्य कर रहे सलाहकार ग्रुपों को सहायता प्रदान करने के लिये मार्ग-दर्शन नियमों को अन्तिम रूप दिया गया ताकि वे और सक्रियता से कार्य कर सकें ।

(थ) मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम के पार्ट 2 कर रहे श्रेष्टतम विद्यार्थी को "7वीं कांफ्रेन्स आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्कालरशिप" पुरस्कार प्रदान करने की एक स्कीम को अन्तिम रूप दिया गया ।

(ङ) मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम पार्ट 1 परीक्षा (दोनों ग्रुपों) में एक बार में ही उत्तीर्ण करने वाले और ग्रुप 1 में सबसे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को "तुलसीराम दैवीदयाल मैमोरियल पुरस्कार" प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया है ।

(च) मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम के लिये पुस्तकें क्रय करने हेतु 11 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन योजना के अधीन रु० 500 की योग्यता छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई ।

(छ) वर्ष के दौरान 10 अभ्यर्थियों ने व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये अपने नाम पंजीकृत कराये ।

(ज) "मैनेजमेंट क्वार्टरली" और "इकोनोमिक क्वार्टरली" के प्रकाशित प्रथम संस्करणों में चालू आर्टिकल्स का सार दिया गया है ताकि जो अभ्यर्थी मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी परीक्षा के ग्रुप 2 के प्रश्नपत्र (1) और (2) की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लाभ हो सके । इन दोनों त्रैमासिकों का वार्षिक चंदा रु० 150 है । जो अभ्यर्थी मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उनके लिये वार्षिक चन्दा रु० 120 है ।

16. मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी में पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रम –पद संज्ञा शब्दों का प्रयोग

जिन सदस्यों ने मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वह वर्तमान में अपने नाम के आगे "डी एम ए" शब्दों के प्रयोग के अधिकारी हैं । कौंसिल के सामने एक ऐसा मामला लाया गया है कि एक विश्वविद्यालय समान पद संज्ञा शब्दों के प्रयोग का अधिकार प्रदान करता है । अतः दो इंस्टीट्यूटों द्वारा एक से शब्दों के प्रयोग की भ्रांति के दूर करने के लिये यह निर्णय किया गया है कि पद संज्ञा शब्दों को बदल कर "डी एम ए (आई सी ए)" कर दिया जाये । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रेगुलेशन्स को इस प्रकार से परिवर्तित करने के लिये संशोधित किया जा रहा है ।

17. अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम

पोस्ट-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम समिति ने अपने अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित पाठ्यक्रम/सेमिनारों का आयोजन किया :—

(1) प्रोजेक्ट मैनेजमेंट—बंगलौर में 12, 13 और 14 अप्रैल, 1974 को ।

(2) कार्पोरेट टैक्स प्लानिंग—हैदराबाद में 19, 20 और 21 अप्रैल, 1974 को ।

(3) क्वान्टिफिकेशन एण्ड दि एकाउन्टेन्ट—बम्बई में 17, 18 और 19 मई, 1974 को ।

(4) आडिटिंग में स्टेटिसटिकल सैम्पलिंग—दिल्ली में 7, 8 और 9 जून, 1974 को ।

(5) एकाउंटिंग और आडिटिंग में कम्पूटर—मद्रास में 16, 17 और 18 अगस्त, 1974 को ।

(6) कोर्पोरिट टैक्स प्लानिंग—बम्बई में 21, 22 और 23 अगस्त, 1974 को

(7) मैनेजमेंट कन्ट्रोल सिस्टम और आर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर—कलकत्ता मे 19, 20 और 21 सितम्बर, 1974 को ।

(8) नये प्रोजेक्टों के लिए टैक्स प्लानिंग—कानपुर मे 1, 2 और 3 नवम्बर, 1974 को ।

(9) फाइनेंशल मैनेजमेन्ट पर रेजिडैन्शियल कोर्स—बंगलौर में 23, 24, 25, 26 और 27 दिसम्बर, 1974 को ।

(10) एकाउन्टैन्ट के लिए कम्प्यूटर की जानकारी—नई दिल्ली में 14, 15, 16, 17 फरवरी, 1975 को ।

(11) टैक्स प्लानिग तथा फाइनेंशियल मैनेजमेट—जयपुर में 19, 20 और 21 अप्रैल, 1975 को ।

उपर्युक्त के अलावा समिति ने एक सेमिनार "पब्लिक सैक्टर में एकाउन्टैबिलिटी" पर नई दिल्ली में 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल, 1975 को ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजज के सहयोग से आयोजित की ।

18. विशेषज्ञ सलाहकार समिति

विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने उसे प्राप्त 9 प्रश्नों पर अपनी राय प्रकट की ।

19. रोजगार समिती ।

31 मार्च, 1975 को रोजगार रजिस्टर में सदस्यों की संख्या 184 थी, जब कि 31 मार्च, 1974 को 148 थी ।

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के लिए रिक्तियां सम्बन्धी प्रमुख समाचार पत्रों की क्लिपिंग रोजगार रजिस्टर मे लिखे हुए सदस्यों को भेजने की सेवा के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए एक सर्कुलर सभी अभ्यर्थियों को भेजा गया । जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि इस सेवा को सदस्यों ने अत्याधिक पसंद किया है और इंस्टीट्यूट को इस सेवा को जारी रखना चाहिए । अतः सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस सेवा को जारी रखा जा रहा है ।

मई, 1974 में सम्पन्न हुआ अंतिम परीक्षा में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और जो सार्वजनि क्षेत्रसंस्थानों में कार्य करना चाहते हैं, उनकी एक सूची कौंसल के सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई है कि वे इन युवा अभ्यर्थियों की सहायता करें और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों को, जिनको चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स की आवश्यकता है, उनके नामों की सिफारिश करें इसी प्रकार की प्रक्रिया नवम्बर 1974 में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के लिए भी अपनाई गई थी ।

सरकारी संस्थानों मे नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों द्वारा प्रैक्टिस करने की सर्टिफिकेट धारण करने के बारे में एक प्रतिवेदन ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज को इस अनुरोध के साथ भेजा गया कि वह सभी बातों को ध्यान में रखकर चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट कर्मचारियों के प्रैक्टिस करने की सर्टिफिकेट को रखने की अनुमति प्रदान करने के समुचित अनुरोध को स्वीकार करे ।

एक प्रतिवेदन ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज को भी भेजा गया था जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों के लेखे और विस प्रभागों में सर्वोच्च स्थानों की पूर्ति

व्यावसायिक लोगों से की जाये। ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों से व्यक्तिगत और सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा सम्पर्क करें ताकि इस तत्व-ज्ञान को व्यावहारिक शकल प्रदान की जा सके।

"उज्जवल भविष्य की ओर" विषय पर जो वर्कशाप सेमिनार होनी थी, उसे स्थगित करना आवश्यक हो गया क्योंकि जो तिथियां पहले निश्चित की गई थीं वह कामनवैल्थ कांफ्रेंस आफ एकाउन्टैन्ट्स जो नई दिल्ली में फरवरी, 1975 में सम्पन्न हुई, की तिथियों से समीप थीं। अब इसका आयोजन अक्टूबर, 1975 में किसी समय करने का प्रस्ताव है।

20. विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति

प्रमुख शिक्षाविदों और कौंसिल सदस्यों की एक वर्कशाप 15 सितम्बर, 1974 को आयोजित की गई थी, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र के महत्व के मामलों और सदस्य दोनों के लिए, साथ ही पोस्ट-क्वालिफिकेशन शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र के मामलों पर विचार-विमर्श हुआ।

गुजरात विश्वविद्यालय को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह अनुसंधान द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद्यार्थियों को मार्ग-प्रशस्त करने के उद्देश्य हेतु इंस्टीट्यूट को मान्यता प्रदान करें।

21. इंस्टीट्यूट के न्यूजलैटर तथा जरनल

एक न्यूजलैटर जुलाई, 1975 से आरम्भ किया गया है जो इंस्टीट्यूट के सभी सदस्यों को निःशुल्क भेजा जायेगा। न्यूजलैटर में अन्य बातों के साथ-साथ इंस्टीट्यूट की कुछ अधिसूचनाएं होंगी जो सांविधिक दायित्वों, न्यूज तथा नोट्स, सांख्यकीय, सदस्यता आदि को पूरा करेगा।

इसी के साथ जुलाई, 1975 से जरनल का मूल्य सभी के लिए देय होगा, जिसमें सदस्य भी सम्मिलित हैं। जरनल की सामग्री को सुधारने के लिए सभी पग उठाये जा रहे हैं।

VII अन्य मामले

1. प्रधान मंत्री के साथ मीटिंग

अध्यक्ष, जिनके साथ उपाध्यक्ष और सचिव भी थे प्रधान मंत्री से 24 जुलाई, 1975 को मिले। वित्त मंत्री तथा कानून, न्याय और कम्पनी मामलों के मंत्री भी मीटिंग में उपस्थित थे। जिन बातों पर विचार हुआ उनमें इंस्टीट्यूट का यह प्रस्ताव भी था कि सभी कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य हो कि उनके लेखा विभाग का इंचार्ज चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स हो, जिससे अधिक वित्तीय अनुशासन और अच्छा वित्तीय मैनेजमेन्ट स्थापित हो सके। अध्यक्ष ने यह भी दलील दी कि कर के टालमटौल के अध्ययन, जिसे सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट को सौंपा गया था और वित्तीय कठिनाइयों के कारण वापस ले लिया गया था, पर पुनर्विचार हो। उन्होंने टैक्सेशन लॉज (संशोधित) बिल, 1973 को कानूनी रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि काले धन की बुराई को रोकने के लिए यह एक विकासशील और स्वस्थ माप-दंड है।

2. अपनी अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग

कौंसिल का विचार है कि आपसी रुचि के अनेक क्षेत्र हैं जहां वह इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया तथा इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेटरीज आफ इंडिया के साथ सहयोग कर सकती है और जहां तक सम्भव हो ऐसे क्षेत्रों में उनके कार्यकलापों में समन्वय स्थापित किया

जाये । अपनी इंस्टीट्यूटों द्वारा भी इसे मान्यता दी गई है और इस सम्बन्ध में कार्य करने की संभावनाओं हेतु दोनों ही अपने इंस्टीट्यूटों के दो कार्यकारी ग्रुप बना दिये गये हैं—एक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए और दूसरा अनुसंधान, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुशासन के लिए । वार्तालाप में प्रगति हो रही है और यह आशा की जाती है कि इसके जो लाभकारी परिणाम होंगे उससे इंस्टीट्यूट के सभी सदस्यों को बहुत लाभ पहुंचेगा ।

3. **चुनाव-पक्ष-प्रचार पर रोक**

चुनावों में उच्च नैतिक मानकों और अच्छा अनुशासन बनाये रखने के लिए कौंसिल ने निर्णय किया है कि पक्ष-प्रचार पर पुनः रोक लगा दी जाये, इसमें यह अनुबंध हो कि प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को एक परिपत्र भेजने की अनुमति दे दी जाये जिसमें वह अपने उम्मेदवारों की घोषणा और उनके मत देने का अनुरोध और अपने बारे में कुछ निर्दिष्ट विवरण दे सके ।

कौंसिल ने यह भी निर्णय किया है कि इंस्टीट्यूट के सदस्यों के विचार आमंत्रित किये जायें । इस सम्बन्ध में सदस्यों को एक परिपत्र भेजा जायेगा ।

4. **लाइब्रेरी**

वर्ष के दौरान नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय लाइब्रेरी में 672 पुस्तकें और बढ़ाई गईं, जिससे पुस्तकों की संख्या 12075 हो गई । सदस्यों और विद्यार्थियों द्वारा लाइब्रेरी के प्रयोग में वृद्धि हुई है ।

5. **अन्य संस्थाओं में इंस्टीट्यूट के नामजद व्यक्ति**

इंस्टीट्यूट का अनेक बाह्य संस्थाओं में उसके सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिनकी सूची परिशिष्ट 10 के रूप में संलग्न है ।

6. **चार्टर्ड काउन्टैन्ट्स हितकारी कोष**

वर्ष के दौरान सदस्यों की संख्या 193 से बढ़कर 198 हो गई और वित्तीय राहत के रूप में रु० 11750 की राशि का वितरण किया गया । वर्ष के अंत में कोष के क्रेडिट में रु० 63,651 की राशि शेष थी, जब कि पिछले वर्ष के अंत में यह राशि रु० 67,206 थी ।

7. **एस० वैद्यनाथ अय्यर स्मारक कोष**

कोष के सदस्यों की संख्या वर्ष के दौरान 38 से बढ़कर 44 हो गई । वर्ष के अंत में कोष के क्रेडिट में रु० 25,323 का बैलेन्स था, जब कि पिछले वर्ष के अंत में रु० 24,552 था । रु० 3,850 की राशि छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों को दी गई ।

VIII रजत जयन्ती समारोह

इंस्टीट्यूट की स्थापना 1 जुलाई, 19 9 को हुई थी और इस प्रकार उसने 30 जून, 1974 को अपने अस्तित्व के 25 वर्ष पूरे कर लिये । 1 जुलाई, 1974 से आरम्भ होकर एक वर्ष की अवधि इंस्टीट्यूट की रजत जयन्ती वर्ष के रूप में मनाई गई ।

विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें कांफ्रेंसें, सेमिनारें, लैक्चर मीटिगें, वर्कशाप्स आदि सम्मिलित है। एक विशेष समिति—रजत जयन्ती समारोह समिति बनाई गई जिसके चेयरमैन श्री एम० के० गुप्ता थे। केन्द्र और विभिन्न क्षेत्रों में अ क उप-समितियां भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बनाई गई।

रजत जयन्ती वर्ष—30 जून, 1974 को आरम्भ के अवसर पर एक लघु लेख जिसका शीर्षक "राष्ट्र की सेवा में" पच्चीस वर्ष था, देश के प्रमुख समाचार पत्रो में प्रकाशित किया गया। इसमें समाज और राष्ट्र की सेवा चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स की भूमिका और महत्व तथा आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर 1 जुलाई को समस्त देश में फैलोशिप मीटिगें आयोजित की गई। 10 जुलाई को इस्टीट्यूट के अध्यक्ष ने आकाशवाणी पर "आडिटर्स की सामाजिक जिम्मेदारियां" विषय पर परिचर्चा की, जुलाई 1974 के जरनल "दि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स" का संस्करण रजत यन्ती अंक के रूप मे प्रकाशित किया गया इसमें इस्टीट्यूट और उसकी समितियों के कार्य कलापो पर अनेक लेख प्रकाशित किये गये। एक रजत जयन्ती स्मारक सील भी जारी की गई।

रजत जयन्ती कार्यक्रमो के मुख्य घटना कामन वैल्थ कान्फ्रेंस आफ एकाउन्टैन्ट्स थी जो अपने आप एक नयी घटना थी। इसका आयोजन नई दिल्ली के अशोका होटल के झिलमिलाते कन्वोकेशन हाल में 5 फरवरी और 8 फरवरी 1975 के बीच किया गया। कान्फ्रेंस का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने किया। अन्य वक्ताओ में केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री सी० सुब्रह्मनियम, उद्योग एवं नागरिक सम्पूर्ति मंत्री माननीय श्री टी० ए० पई एवं भारत के एटार्नी जनरल श्री नीरेन डे सम्मिलित थे। इस कान्फ्रेंस में कामनवैल्थ के अधिकाश महत्वपूर्ण एकाउन्टेंसी संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों से लगभग 1250 चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ने इसमें भाग लिया, साथ आई तीन सौ महिलाओं ने सामाजिक उत्सवों में भाग लिया।

कामनवैल्थ कान्फ्रेंस आफ एकाउन्टैन्ट्स के उद्देश्य "आर्थिक विकास में एकाउन्टैन्ट्स की भूमिका" एवं इस उद्देश्य से संबद्ध महत्वपूर्ण विभिन्न विषयों पर, माप, संचार, पर्यावरण, प्रबन्ध एवं संरचना पर आयोजित पांच टैक्नीकल सत्रों में विचार किया गया। 5 फरवरी 1975 को चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप विचार विमर्श किए गए थे जिनमें कान्फ्रेंस के लिए वितरित पत्रों पर विस्तार से विचार किया गया। कान्फ्रेंस के दिनों में संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अन्य अतिथियों के मनोरंजनार्थ सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा विदेशी आगतुकों और कौंसिल के सदस्यों को चाय पर आमंत्रित किया गया। समापन दिवस के दिन एक विदाई कोकटेल पार्टी होटल ओबेराय इन्टरकान्टीनैन्टल में आयोजित की गई।

यद्यपि भाग लेने वाले तकनीकी सैशनों में व्यस्त थे, साथ आई महिलाओं को नगर के एतिहासिक महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रमण कराया गया। सभी महिला प्रतिनिधियों का जिनके साथ प्रतिनिधियों की पत्नियां भी थीं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा अपने निवास स्थान पर स्वागत किया गया।

कौंसिल को इस बात को रिकार्ड करते हुए प्रसन्नता है कि कान्फ्रेंस अत्यधिक सफल रही और सभी प्रतिनिधियों द्वारा विशेष कर विदेशी अतिथियों द्वारा उसकी सराहना की गई। प्रतिनिधियो

के प्रमुखों की एक बैठक में इस बात की चर्चा की गई कि इसी प्रकार की कांफ्रेंस भविष्य में कामनवैल्थ देशों में की जायें और इस सुझाव का स्वागत किया गया। आगामी कान्फ्रेंस यूनाइटेड किंगडम में सन् 1980 में होने की सम्भावना है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी मद्रास में अगस्त, 1974 में एकत्रित हुए। कार्य क्रम केवल कान्फ्रेंस तक ही समिति न रहा बल्कि विद्यार्थियों के बीच खेल कूद प्रतियोगिता भी हुई।

वर्कशाप कार्यक्रम में, प्रथम वर्कशाप अकादमियों और इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों की बीच नई दिल्ली में सितम्बर, 1974 में आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित दो विषयों पर विचार विमर्श हुआ :—

(1) शिक्षा एवं प्रशिक्षण—एकीकरण की एक आवश्यकता, और

(2) अनुसंधान में इंस्टीट्यूट और विश्व विद्यालयों के बीच समन्वय।

यह वर्कशाप कौंसिल की विश्व विद्यालय सम्पर्क समिति के तत्वाधान में आयोजित की गई। बातचीत के दौरान जो सुझाव सामने आए उन पर विचार किया जा रहा है। सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण पर एक वर्कशाप व्यावसायिक विचार समिति द्वारा तीन सैशनों में आयोजित की गई—एक बम्बई में जून, 1975 में और दो नई दिल्ली में जुलाई और सितम्बर में आयोजित की गईं। इस वर्कशाप के निष्कर्णों से व्यवसाय में सामाजिक लागत और लाभ के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी, जिसमें व्यवसाय के लिए यह सम्भव हो सकेगा कि वह एक संस्थान से प्राप्त होने वाली निवल आय को सोसाइटी को प्रस्तुत कर सके।

एक वर्कशाप "वित्तीय विवरण के प्रयोक्ता" विषय पर शीघ्र ही व्यावसायिक विचार समिति द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न रूचियों के प्रतिनिधियों, जो वित्तीय विवरणों का अध्ययन और प्रयोग करते हैं अर्थात् औद्योगिक और वाणिज्यिक व्यवसाय, बैंक, शेयर होल्डर्स, ट्रेड यूनियन, वाणिज्य के चैम्बर्स, सरकार के संबंधित विभाग आदि, भाग लेंगे।

क्षेत्रीय कौंसिलें भी स्थानीय आधार पर विविध कार्यक्रम, जिनमें लैक्चर्स, क्षेत्रीय कान्फ्रेंस सामाजिक मिलन गोष्ठी आदि सम्मिलित हैं, करने में समान रूप में सक्रिय रहीं।

IX. क्षेत्रीय कौंसिलें और उनकी शाखाएं

1. क्षेत्रीय कौंसिलें :

क्षेत्रीय कौंसिलें पांच क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम (बम्बई) दक्षिण (मद्रास) पूर्व (कलकत्ता) केन्द्रीय (कानपुर) उत्तर (दिल्ली) में कार्य करती रहीं। क्षेत्रीय कौंसिलें सक्रिय रहीं और उन्होंने अनेक कान्फ्रेंसें, सेमिनार, लैक्चर्स, स्टडी सर्कल मीटिंग आदि आयोजित कीं।

2. क्षेत्रीय कौंसिलों की शाखाएं

पश्चिम भारत क्षेत्रीय कौंसिल की वर्तमान छह शाखाएं अर्थात्—अहमदाबाद, बड़ोदा, गोआ, पूना, नागपुर और सूरत में, दक्षिण भारत क्षेत्रीय कौंसिल की ग्यारह शाखाएं अर्थात्—बंगलौर बेलगांव, कोयम्बटूर, एर्णाकुलम, हैदराबाद, मदुरई, मंगलौर, सालेम, तिरूचिरापल्ली, त्रिवेन्द्रम और विजयवाडा तथा सेन्ट्रल भारत क्षेत्रीय कौंसिल की तीन शाखाएं–इन्दौर, जयपुर और जमशेदपुर और

उत्तर भारत क्षेत्रीय कौंसिल की एक शाखा चंडीगढ़ में कार्य करती रहीं । तीन नई शाखाएं—एक पूर्वी भारत क्षेत्रीय कौंसिल की आसनसौल में, एक दक्षिणी भारत क्षेत्रीय कौंसिल की लुधियाना में और एक सैन्ट्रल भारत क्षेत्रीय कौंसिल की गाजियाबाद में खोली गई ।

कौंसिल ने यह निर्णय किया है कि भविष्य में खुलने वाली शाखाओं की संख्या पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए और उनके अधिकाराधीन क्षेत्र को कम करके उनके कार्य कलापों का नियमित किया जाये । इस उद्देश्य को सम्मुख रखते हुए क्षेत्रीय कौंसिल की एक शाखा का क्षेत्र 50 मील से घटाकर 40 किलोमीटर किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में रैगुलेशन्स में संशोधन किया जा रहा है । इस संशोधन का परिणाम इसके लागू होने के बाद यह होगा कि एक नगर में क्षेत्रीय कौंसिल की शाखा स्थापित करने की सम्भावना तभी होगी जब कि उस नगर में 30 सदस्यों से कम सदस्य न रहते हों अथवा नगर सीमा से चालीस किलोमीटर की दूरी हो । फिर भी, किसी शाखा के अधिकाराधीन क्षेत्र से बाहर रहने वाले सदस्यों को शाखा की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दे दी जाएगी । इस सम्बन्ध में एक घोषणा जनवरी, 1975 के जरनल में की जा चुकी है ।

X अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

1. एकाउन्टेंसी व्यवसाय के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समन्वयन समिति

इंस्टीट्यूट ने उपर्युक्त संस्था के साथ अपनी सदस्यता जारी रखी । श्री एस० के० गुप्ता कमेटी ने संस्थान का प्रतिनिधित्व किया । कमेटी को आमन्त्रित किया गया है कि वह फ़रवरी 1977 में अपनी बैठक नई दिल्ली में करे और इसे स्वीकार कर लिया गया है ।

2. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति

इंस्टीट्यूट उपर्युक्त संस्था का एसोसिएट सदस्य बना रहा ।

प्रथम स्टैण्डर्ड का लेखा नीतियों का निश्चित मसविदा, जो समिति द्वारा 1 दिसम्बर को जारी किया गया था, शीघ्र ही मार्ग निर्देश टिप्पणी सहित सदस्यों को जारी कर दिया जाएगा ।

एक्सपोजर ड्राफ्ट सं० 2 "वैल्यूएशन एण्ड प्रेजैण्टेशन आफ़ इन्वेन्टरीज इन दि कन्ट्रक्ट आफ़ दि हिस्टौरिकल सिस्टम" पर इंस्टीट्यूट ने विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं ।

3. एकाउण्टैण्टस की ग्यारहवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस

एकाउण्टैंट्स की ग्यारहवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में जो मूनीच (पश्चिम जर्मनी) में अक्तूबर 1977 में होगी, इंस्टीट्यूट को अध्ययन ग्रुप सैशन के लिए एक राष्ट्रीय रिपोर्ट हेतु लेखक नामांकन और प्लैनरी सैशनों में से एक के लिए जनरल रिपोर्ट पर कमेण्ट्री हेतु आमन्त्रित किया गया । कौंसिल इन निमंत्रणों को भारत में एकाउण्टेंसी व्यवसाय के संबंध में एक महान् सम्मान समझती है । कौंसिल ने यह निर्णय किया है कि प्रथम कार्यभार अपनी सहायक संस्था 'दि इंस्टीट्यूट आफ़ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैण्ट्स आफ़ इंडिया' को और दूसरे कार्यभार के लिए इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री एन० सी० कृष्णन, लेखक के रूप में चुने गए ।

कौंसिल ने कांग्रेस को एक डेलीगेशन भेजने का भी निर्णय किया है । इस उद्देश्य के लिए यथा-समय न्यूज़ लेटर के माध्यम से एक घोषणा कर दी जाएगी ।

4. ऐशियाई और प्रशांत महासागर के एकाउन्टैन्टस की आठवीं कांफ्रेंस

इंस्टीट्यूट को सितम्बर 1976 में हांगकांग में होने वाली ऐशियाई एवं प्रशांत महासागर के एकाउन्टैन्ट्स की आठवीं कान्फ्रेंस में भाग लेने हेतु एक आमंत्रण प्राप्त हुआ है। कौंसिल ने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में यथा समय न्यूज लैटर के माध्यम से एक घोषणा कर दी जाएगी।

इंस्टीट्यूट को चीफ़ डेलीगेट्स मीटिंग में विचार विमर्श के लिए 'भविष्य के लिए प्रशिक्षण एकाउण्टैन्ट्स' पर एक पत्र तैयार करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है जो कांफ्रेंस की भूमिका प्रस्तुत करेगा।

XI आभार

कौंसिल सरकार द्वारा दिए गए निरन्तर सहयोग एवं सहायता के लिए आभार प्रकट करती है।

इसके साथ-साथ कौंसिल इंस्टीट्यूट के सदस्यों, जिन्होंने इसकी विभिन्न कमेटियों को संयोजित किया, के मूल्यवान सहयोग एवं इंस्ट ट्यूट के अन्य सदस्यों, जिन्होंने इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित विभिन्न कांफ्रेंसों, सेमिनारों आदि में भाग लिया, का भी धन्यवाद करना चाहती है।

कौंसिल रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी आभार प्रकट करती है।

श्री सी० बालकृष्णन्, जिन्होंने 10 वर्ष से भी अधिक की अवधि तक सचिव के रूप में इंस्टीट्यूट की सराहनीय सेवा की, ने जून, 1974 में त्यागपत्र दे दिया। श्री बालकृष्णन ने इंस्टीट्यूट की सराहनीय सेवा की और इंस्टीट्यूट के कार्यकलापों में चर्तुमुखी वृद्धि एवं नवीन मार्ग प्रशस्त किये और अन्तर्राष्ट्रीय लेखे में भाईचारा पैदा करने में एक कड़ी का कार्य किया और इन्स्ट ट्यूट को मान्यता दिलायी। 1 जुलाई, 1974 से 16 फ़रवरी 1975 तक श्री टी० एस० ग्रेवाल, संयुक्त डीन ने कार्यकारी सचिव का कार्य किया। 17 फ़रवरी 1975 से श्री पी० एस० गोपालकृष्णन् ने इंस्टीट्यूट के सचिव के पद का कार्य भार सम्हाल लिया है।

(ह०) पी० एस० गोपालकृष्णन, सचिव। (ह०) पी० एम० नारियल वाला, उपाध्यक्ष। (ह०) एन० सी० कृष्णन्, अध्यक्ष।

नयी दिल्ली;

तिथ्यांकित : 16 सितम्बर, 1975।

परिशिष्ट 1

संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 1–J

कौंसिल के सदस्य

कृष्णन, एन० सी०

अध्यक्ष

नारियलवाला, पी० एम०

उपाध्यक्ष

अगाडि, एस० जी०	बम्बई
*बालकृष्णन, सी०	नई दिल्ली
भंडारी, बी० सी०	जयपुर
भट्टाचार्य, सुकुमार	कलकत्ता
चक्रवर्ती, ए० के०	कलकत्ता
चौधरी, ए०	नई दिल्ली
डमानिया, एच० एम०	बम्बई
गणपति, सी० सी०	नई दिल्ली
गुप्ता, एस० के०	कलकत्ता
जगदीशन, बी०	मद्रास
काबरा, बी० एल०	बम्बई
खन्ना, आर० के०	नई दिल्ली
महेश्वरी बी० आर०	दिल्ली
मलेगम, वाई० एच०	बम्बई
मलिक, पी० के०	कलकत्ता
मेहता, बी० एस०	बम्बई
नरसिंहमूर्ति, ए० आर०	बंगलौर
निगम, आर० एस०	नई दिल्ली
पारिख, अनिल एम०	बम्बई
राजारमन, बी०	नई दिल्ली
रामानुजम, जी०	मद्रास
रंगा, आर० पी०	नई दिल्ली
शाह, पी० एन०	बम्बई
सेठ, आर० के०	कानपुर
वासा, एच० बी०	अहमदाबाद
वेनुगोपाल, पी०	हैदराबाद
विजयराघवन, पी० बी०	मद्रास

*दिनांक 17 सितम्बर, 1974 से 16 सितम्बर, 1975 तक श्री प्रवीण चन्द्र बी० गांधी (बम्बई) के स्थान पर नामजद

परिशिष्ट 2

विभिन्न समितियों के सदस्य

(क) स्थायी समिति

(1) एक्जीक्यूटिव कमेटी

श्री एन० सी० कृष्णन—अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला—उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री वी० जगदीशन
श्री बी० आर० महेश्वरी
श्री वाई० एच० मालेगम

(2) परीक्षा समिति

श्री एन० सी० कृष्णन्—अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला—उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री ए० के० चक्रवर्ती
श्री पी० एन० शाह
श्री पी० वेणुगोपाल

(3) अनुशासनात्मक समिति

श्री एन० सी० कृष्णन्—अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला—उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री ए० चौधरी
श्री पी० के० मलिक
श्री बी० एस० मेहता

(ख) स्टैंडिंग कमेटियां

(1) अनुसंधान समिति

श्री वाई० एच० मालेगम—चेयरमैन
श्री पी० एन० शाह—वाईस चेयरमैन
श्री एन० सी० कृष्णन्—अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला —उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री सुकुमार भट्टाचार्य
श्री वी० जगदीशन
डा० आर० एस० निगम
श्री पी० बी० विजयराघवन
श्री सी० बालकृष्णन्
श्री बी० एम० मिर्जा
श्री एम० सुन्दररामन } सहयोजित सदस्य
श्री सी० एस० सेमुअल

(2) **पोस्ट-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम समिति**

श्री एच० एम० दमानिया, चेयरमैन
श्री वी० राजारमन, वाईस चेयरमैन
श्री एन० सी० कृष्णन, अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री एस० के० गुप्ता
श्री अनिल एम० पारिख
श्री पी० वी० विजयाराघवन
श्री सी० बालकृष्णन्
श्री ए० वी० रबाडी
श्री एम० वी० घटालिया
} सहयोजित सदस्य

(3) **व्यावसायिक विकास समिति**

श्री अनिल एम० पारिख, चेयरमैन
श्री ए० आर० नरसिंहमूर्ति, वाईस चेयरमैन
श्री एन० सी० कृष्णन्, अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री सी० सी० गणपति
श्री आर० पी० रंगा
श्री आर० के० सेठ
श्री पी० वेणुगोपाल
श्री ए० वेणुगोपाल
श्री बी० एन० पारदीवाला
} सहयोजित सदस्य

(4) **टैक्सेशन समिति**

श्री बी० एल० काबरा, चेयरमैन
श्री सुकुमार भट्टाचार्य, वाइस चेयरमैन
श्री एन० सी० कृष्णन्, अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री एस० जी० आरमाडे
श्री बी० सी० भंडारी
श्री सी० सी० गणपति
श्री आर० के० सेठ
श्री ए० वी० टंडन
श्री एम० एम० जैन
} सहयोजित सदस्य

(5) **कोचिंग बोर्ड**

श्री पी० वी० विजयराघवन, चेयरमैन
श्री एच० वी० वासा, वाइस चेयरमैन

श्री एन० सी० कृष्णन्, अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एस० नारियलवाला, उपाध्यक्ष, (पदेन)
श्री बी० सी० भंडारी
श्री एच० एम० दमानिया
डा० आर० एस० निगम
श्री वी० वी० हरिभक्ति
श्री आई० वी० सिन्हा } सहयोजित सदस्य
श्री एम० ए० मुरलीप्रसाद

(6) **रोजगार समिति**

श्री वी० राजारमन, चेयरमैन
श्री ए० के० चक्रवर्ती, वाईस चेयरमैन
श्री एन० सी० कृष्णन्, अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० सी० भंडारी
श्री वी० एन० काबरा
श्री जी० रामानुजम्
श्री एच० वी० वासा } सहयोजित सदस्य
श्री एच० आर० गुप्ता

(7) **विशेषज्ञ सलाहकार समिति**

श्री आर० के० खन्ना, चेयरमैन
श्री वी० राजारामन, वाइस चेयरमैन
श्री एन० सी० कृष्णन्, अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री वी० एस० मेहता } सहयोजित सदस्य
श्री रघुनाथ राय

(8) **कम्पनी कानून समिति**

श्री एस० के० गुप्ता, चेयरमैन
श्री ए० चौधरी, वाईस चेयरमैन
श्री एन० सी० कृष्णन्, अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री एच० एम० दामनिया
श्री वी० एस० मेहता
श्री वाई० सी० अमीन } सहयोजित सदस्य
श्री एस० एन० देसाई
श्री के० गणेसन्

(9) **विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति**

श्री एस० जी० आर्गेडे, चेयरमैन
श्री बी० आर० महेश्वरी, वाईस चेयरमैन
श्री एन० सी० कृष्णन, अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री ए० आर० नरसिंह मूर्ति
श्री अनिल एम० पारिख
श्री पी० वेनुगोपाल

(10) **सामान्य प्रयोजन समिति**

श्री एन० सी० कृष्णन, चेयरमैन
श्री पी० एम० नारियलवाला, वाईस चेयरमैन
श्री बी० जगदीशन
श्री बी० आर० महेश्वरी
श्री वाई० एच० मलेगम

(11) **रजत जयन्ती समारोह समिति**

श्री एस० के० गुप्ता, चेयरमैन
श्री एन० सी० कृष्णन, वाईस चयरमैन
श्री बी० जगदीशन
श्री आर० के० खन्ना
श्री वाई० एच० मलेगम
श्री पी० के० मलिक
श्री बन्सी एस० मेहता
श्री पी० एम० नारियलवाला
श्री अनिल एम० पारिख
श्री बी० राजारामन
श्री आर० के० सेठ
श्री सी० बालकृष्णन

(12) **विकेन्द्रीकरण एवं शाखाओं के लिए तदर्थ समिति**

श्री अनिल एम० पारिख, चेयरमैन
श्री पी० बी० विजयराघवन, वाईस चेयरमैन
श्री एन० सी० कृष्णन्, अध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० एम० नारियलवाला, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री बी० सी० भंडारी
श्री ए० के० चक्रवर्ती
श्री बी० आर० महेश्वरी

(13) सम्पादकीय मंडल

श्री एन० सी० कृष्णन, अध्यक्ष, प्रधान सम्पादक
श्री पी० एम० नारियलवाला, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री बी० जगदीशन
श्री ए० आर० नरसिंह मूर्ति
श्री पी० वेनुगोपाल
श्री पी० बी० विजयराघवन

परिशिष्ट 3

(संदर्भ . रिपोर्ट का भाग 3–1)

31 मार्च, 1974 और 31 मार्च, 1975 को सदस्यों की संख्या

	एसोसियेटस		फैलो		कुल	
	31-3-74	31-3-75	31-3-74	31-3-75	31-3-74	31-3-75
प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र धारक सदस्य	5530	5963	4105	4481	9635	10,444
अन्य	4360	4568	316	360	4676	4,928
योग	9890	10,531	4421	4841	14,311	15,372

परिशिष्ट 4

(संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 3–5)

सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

1. कृषि कार्यकलापों के लिए आडिट क्लर्क की सेवाएं लेना

अपने नियोक्ता के विरुद्ध एक आडिट क्लर्क ने शिकायत की जिसमे नियोक्ता के विरुद्ध अन्य बातों के साथ साथ उसकी आडिट सेवा की अवधि में नियोक्ता की सेवाओ को आडिट क्लर्क के कृषि कार्यकलापों के विस्तार के लिए प्रयोग करने के दुराचार का दोषी बताया गया, अनुशासनात्मक समिति रिकार्ड किये गये प्रमाणों से यद्यपि संतुष्ट थी कि आडिट क्लर्क को अपने नियोक्ता के कृषि के कार्य-कलापों में कार्यालय के समय में भाग लेना होता था, परन्तु अत्यन्त खेद के साथ इस निर्णय पर पहुंची कि कृषि कार्य के लिए आडिट क्लर्क की सेवाए, कभी कभी नही बल्कि आडिट क्लर्क के रूप में सेवा की अवधि के दौरान लम्बे समय तक, लेना सदस्य को व्यावसायिक अथवा अन्य दुराचार का दोषी नहीं ठहराता। कौसिल ने सदस्य को व्यावसायिक अथवा अन्य दुराचार का दोषी न पाने के कारण शिकायत को बर्खास्त कर दिया ।

आर्टिकिल्ड क्लर्क द्वारा कौंसिल के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को की गई अपील में, न्यायालय ने यह माना कि सदस्य के द्वारा आर्टिकिल्ड क्लर्क प्रशिक्षण देने के बजाय ताकि वह आडीटर बन सकता, अपने वृत्ति-कार्य में लगाना स्पष्टतः "अन्य दुराचार", माना जायेगा, परन्तु इस कार्यवाही में हुए लम्बे समय को ध्यान में रखते हुए उसे रिप्रीमान्ड किया गया ।

2. कम्पनी कानून, 1956 के उपबन्धों का पालन न करने पर उन्हें बनाने में असफल रहना

एक सदस्य को चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस एक्ट, 1949 की द्वितीय अनुसूची के पार्ट, 1 धारा (5) (6), (7) और (9) के अधीन व्यावसायिक दुराचार का दोषी पाया, क्योंकि वह यह बताने में असफल रहा कि (1) जिस कम्पनी का वह आडीटर था एक सहायक कम्पनी थी, और उसने कम्पनी कानून, 1956 की छटी अनुसूची का उल्लंघन किया (2) बोनस शेयर को नहीं बताया (3) कम्पनी भाग 43 ए कम्पनी थी (4) मैनेजिंग एजेन्टों को ऋण सम्बन्धी भाग 369 के उपबन्धों का उल्लंघन (7) (5) भाग 370 (3) के अधीन रखे जाने वालों कन्ट्रक्ट रजिस्टर को नहीं बनाया और (6) मनेजिंग एजेन्टस के सहयोग से कम्पनी द्वारा कन्ट्रैक्ट की राशि, जो कि गई सेवाओं के लिए थी, लाभ हानि लेखे में नहीं दिखाई गई जैसा कि अनुसूची 6, पार्ट 1 के अधीन अपेक्षित था । कौंसिल ने उच्च न्यायालय से सिफारिश की कि प्रतिवादी का नाम कौंसिल के सदस्यता रजिस्टर से एक वर्ष के लिए हटा दिया जाये । उच्च न्यायालय ने कौंसिल के निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए नाम हटाने की अवधि को कम करके दो माह कर दिया ।

3. पिछले आडीटर को सूचित करने में असफल रहना

एक सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टन्टस एक्ट, 1949 की प्रथम अनुसूची के पार्ट 1 की धारा (8) के अधीन व्यावसायिक दुराचार का दोषी पाया गया । इस मामले में कोई प्रमाण नहीं था कि पिछले आडीटर का कोई भी पत्र भेजा गया । कौंसिल ने प्रतिवादी को सुनने के बाद एक्ट के भाग 21(4) के अधीन उसे रिप्रीमांड कर दिया ।

4. यह जानते हुए कि जो विवरण दिये हैं वह झूठे हैं, कौंसिल को प्रस्तुत किये गये फार्म में विवरण देना ।

एक सदस्य को चार्टर्ड एकाउन्टैंस एक्ट, 1949 की प्रथम अनुसूची के पार्ट 3 की धारा (1) के अधीन व्यावसायिक दुराचार का दोषी पाया, क्योंकि उसके आर्टिकिल्ड क्लर्क ने प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में बी० काम के अध्ययन की अनुमति मांगी थी, बी० काम पाठयक्रम के लिए उपस्थिति के घंटे सम्बन्धी सूचना का विवरण दिया था जो वह जानता था कि झूठा है । कौंसिल ने सदस्य को सुनने के बाद एक्ट के भाग 21 (4) के अधीन उसे रिप्रीमांड कर दिया ।

5. आडीटर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में कम्पनी एक्ट की आवश्यकताओं को मालूम करने में भी सफल रहना ।

एक सदस्य को चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस एक्ट, 1949 की प्रथम अनुसूची के पार्ट 1 की धारा (9) के अधीन व्यावसायिक दुराचार का दोषी पाया । इस मामले में कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि सदस्य ने यह मालूम करने के लिए कोई कदम उठाया कि क्या कम्पनी ने कम्पनी कानून, 1956 के भाग 224 और 225 के उपबन्धों के अनुसार आडीटर के रूप में उसकी नियुक्ति की प्रतिक्रिया को अपनाया है । उसने यह जानने की कोई परवाह नहीं की कि जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई है, क्या वह स्थान रिक्त हुआ है, असाधरण सामान्य बैठक, जिसमें आवेदन पत्र दिया गया था, के लिए क्या नोटिस पिछले आडीटर को भेजा गया था, आदि । कौंसिल ने सदस्य को सुनने के बाद एक्ट के भाग 21 (4) के अधीन उसे रिप्री-मांड कर दिया ।

6. व्यावसायिक कार्य की मांग करना

एक सदस्य को चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस की प्रथम अनुसूची के पार्ट 1 की धारा (6) के अधीन व्यावसायिक दुराचार का दोषी पाया, क्योंकि उसने दूसरे व्यक्ति से, जिसे उसमें रुचि थी, एक प्रस्ताव का एक पत्र प्राप्त करने के बाद, जिस पर दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर थे जो स्वयं सदस्य ने काफी समय बाद कराये थे, एक पत्र के माध्यम से व्यावसायिक कार्य की मांग की थी। सदस्य के सभी लिखित प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद कौंसिल ने एक्ट के भाग 21 (4) के अधीन सदस्य को रिप्रीमांड कर दिया।

परिशिष्ट 5

(संदर्भ रिपोर्ट का भाग 3–7)

सदस्यों के नाम जिनका वर्ष 1974–75 में निधन हुआ

क्रमांक	सदस्य संख्या	नाम
1.	25	एस० के० मित्तर
2.	32	एम० डी० दरबारी
3.	46	पी० एम० हेज
4.	60	ए० के० पारिख
5.	154	जे० टी० देसाई
6.	168	वाई० रामास्वामी
7.	189	ए० एल० सहगल
8.	200	एच० एफ० कैप्टिन
9.	227	एस० नागाराज
10.	277	ए० के० मुखर्जी
11.	320	पी० पार्थसारथी
12.	388	एच० एम० कान्ट्रैक्टर
13.	455	डी० बी० चटर्जी
14.	528	डी० एन० वेंकटारमन
15.	802	एम० एस० मूर्ति
16.	966	पी० वेंकटाराव
17.	1593	वी० आर० गांधी
18.	1719	बी० बी० भट्ट
19.	1737	एस० के० राय चौधरी
20.	1872	सी० बी० शाह
21.	1943	ए० वर्दाचारी

क्रमांक		नाम
22.	1985	जी० बी० एल० एस० वर्मा
23.	2668	एल० सी० टोडरवाल
24.	2974	एस० घोष
25.	3323	एस० एस० शास्त्री
26.	3554	बी० एन० वकील
27.	4017	एच० वेन्कटेश्वरन्
28.	4622	एम० गोपालाकृष्णन्
29.	6309	पी० विष्णु मेनन्
30.	8133	एस० बी० देव राय
31.	11984	पी० सी० मोदी
32.	14514	आर० डी० वन्दरवाला

परिशिष्ट 6

(संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 4—8)

वर्ष 1974–75 के दौरान नाम दर्ज किए गए छात्रों की संख्या

	इंटरमीडिएट			फाइनल ग्रुप					
		अनिवार्य	विकल्प		ग्रुप I		ग्रुप II		विकल्प
छात्रों की संख्या जो कि 1 अप्रैल 1974 को रोल पर थे।	(10550)	13,199	(कोई नहीं)	कोई नहीं	(2797)	3236	(2679)	3062	(7) कोई नहीं
1974–75 के दौरान नाम दर्ज हुए	(6071)	3,464	(कोई नहीं)	कोई नहीं	(1972)	3243	(1972)	3243	कोई नहीं
		16,663				6479		6305	
छात्रों की संख्या जिन्होंने ट्यूशन पूर्ण की, जिस में इंटरमीडियेट पाठ्यक्रम के 3 छात्र भी शामिल हैं, जिन्होंने वर्ष के दौरान ट्यूशन छोड़ दी।	(3422)	4,323			(1533)	1730	(1589)	1775	
		12,340				4749		4530	

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

परिशिष्ट 7

(संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 5–1)

परीक्षाओं के विवरण

	बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	प्रतिशत
प्रवेश परीक्षा			
मई 1974	0868	69	7–9%
नवम्बर 1974	2623	358	13.65%
इंटरमीडिएट परीक्षा			
मई 1974	5963	1618	27.13%
नवम्बर 1974	5928	1631	27.51%

फाइनल परीक्षा

	दोनों ग्रुपों में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या	दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	प्रतिशत	केवल ग्रुपों I में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	प्रतिशत	केवल ग्रुप II में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	प्रतिशत	केवल ग्रुप I में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	प्रतिशत	केवल ग्रुप II में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	प्रतिशत
मई 1974 . .	1087	156	14.3%	162	14.9%	167	15.4%	1987	328	16.5%	1027	263	25%
नवम्बर 1974 .	1181	194	16.4%	164	13.9%	287	24.3%	1991	331	16.6%	1148	294	25%

फाइनल परीक्षा

वर्ष 1974 का सर्वश्रेष्ठ छात्र :

डी० ए० गाडगिल को निम्न पुरस्कार दिये गये :—

जी० पी० कपाडिया (प्रथम अध्यक्ष) गोल्ड मैडिल

आर० बी० के० उमरजी का कास्ट एकाउन्टिंग के सर्वोत्तम पेपर पर पुरस्कार

जी० बसु० फाउन्डेशन एवार्ड—वर्ष 1974 के सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए पुरस्कार

एन० एस० दास पुरस्कार—वर्ष 1974 के एकाउन्टेन्सी ग्रुप के सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए पुरस्कार

रामचन्द्र सिंघी का सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए पुरस्कार

योग्यता प्रमाण पत्र—प्रथम श्रेणी

इण्टरमीडिएट परीक्षा

वर्ष 1974 का सर्वश्रेष्ठ छात्र :

दोराब इ० मिस्त्री को निम्न पुरस्कार दिये गये :—

जी० पी० कपाडिया (प्रथम अध्यक्ष) सिलवर मैडिल

सूरी मिमोरियल फण्ड— वर्ष 1974 के सर्वोत्तम छात्र पुरस्कार

योग्यता प्रमाण पत्र—प्रथम श्रेणी

परिशिष्ट 8

(संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 5–2)

पुरस्कार और योग्यता प्रमाण पत्र

फाइनल परीक्षा

	मई 1974	नवम्बर 1974
1. जी० पी० कपाड़िया (प्रथम अध्यक्ष) स्वर्ण पदक		आर० के० अग्रवाल
2. एकाउन्टैन्सी में सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए सर सापुर जी बिल्लीमोरिया पुरस्कार (मूल्य रु० 200/–)	टी० नागाराजा	डी० बी० कपाडिया
3. कास्ट एकाउंटिंग में सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए आर० बी० के० उमरजी पुरस्कार		ए० के० तोड़ानी एवं एम० सुन्दरामूर्ति
4. आडिटिंग में सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए 200/– रुपए का ए० एफ० फर्गुसन नकद पुरस्कार	ए० निर्मल कुमार	एम०एन० सुब्रामनियम

	मई 1974	नवम्बर 1974
5. टैक्सेशन में सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए एन० एम० शाह पुरस्कार (मूल्य रुपये 200/-)	के० सुधाकर	ए० के० साबत
6. कार्मशियल लाज और अन्य डायरेक्ट टैक्सेस एक्ट्स पर सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए सूरी स्मारक कोष एवार्ड ।	आर० एस० लावेरो	पी० डी० ओक
7. कम्पनी कानून पर सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए यू० सी० मजूमदार पुरस्कार	एस० गोपालन् एवं पी० मुरलीकृष्ण	प्रदीप भंडारी
8. अर्थशास्त्र पर सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए वेंकटाचलम मोहन नकद रु० 100/- का पुरस्कार	टी० एस० सुन्दरेसन् एवं पी० के० अम्लानी	ए० मुरुगानन्दन्
9. सर्वश्रेष्ठ महिला परीक्षार्थी को आर० शिवभोगम पुरस्कार	श्रीमती के० सरोजा	सुश्री रूबी एन० भंडारी
10. सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी के लिए रामचन्द्र सिंघी पुरस्कार		आर० के० अग्रवाल
13. योग्यता प्रमाण पत्र :		
प्रथम श्रेणी	—	आर० के० अग्रवाल
द्वितीय श्रेणी . . .	ए० निर्मल कुमार	एलीन भाटिया एवं आर० के० शाह
तृतीय श्रेणी . . .	एस० गोपालन् एवं प्रभात डी० अमाशी	डी० बी० कपाडिया

इंटरमीडिएट परीक्षा

	मई 1974	नवम्बर, 1974
1. जी० पी० कपाडिया (प्रथम अध्यक्ष) रजत पदक	डी० बी० बर्डे एवं के० वैद्यनाथन	—
2. योग्यता प्रमाण पत्र :		
प्रथम श्रेणी . .	डी० बी० बर्डे एवं के० वैद्यनाथन्	—
द्वितीय श्रेणी . . .	हर्षद पानलाल शाह	सुश्री बी० बी० शाह एवं आर० एन० विजयसिम्हा ।
तृतीय श्रेणी . . .	एम० बी० गंगाधरन्	आर० डी० बैंकर

परिशिष्ट 9

(संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 6—15)

मई 1974 एवं नवम्बर 1974 को मैनेजमैन्ट एकाउन्टेंसी परीक्षा

	मई 1974	नवम्बर 1974
दोनों ग्रुपों में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या . .	15	16
दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या . .	1	1
ग्रुप 1 में उत्तीर्ण	1	कोई नहीं
ग्रुप 2 में उत्तीर्ण	2	2
ग्रुप 1 में बैठे परीक्षार्थियों की कुल संख्या . .	16	15
ग्रुप 1 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या .	2	2
ग्रुप II में बैठे परीक्षार्थियों की कुल संख्या . .	4	4
ग्रुप II में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या . .	कोई नहीं	2

परिशिष्ट 10

(संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 7—7)

अन्य संस्थाओं में इंस्टीट्यूट के मनोनीत प्रतिनिधि

	संस्था का नाम	प्रतिनिधि का नाम
1	दि जनरल कौंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैन पावर रिसर्च	प्रेजीडेण्ट-इन-आफिस (श्री एन० सी० कृष्णन्)
2	दि नैशनल प्रोडक्टीविटी कौंसिल	श्री वाई० एच० मलेगम
3	दि आल इंडिया बोर्ड आफ टैक्नीकल स्टडीज इन कामर्स	श्री पी० वी० विजयराघवन
4	दि आल इंडिया बोर्ड आफ टैक्नीकल स्टडीज इन मैनेजमेंट	श्री पी० के० मलिक
5	वाणिज्यक विषयों के लिए स्टडी ग्रुप-डायरेक्टोरेट जनरल आफ एम्पलाएमेंट एण्ड ट्रेनिंग ।	श्री एस० जी० अरगाई
6	इण्डियन यूनीवर्सिटीज की एसोसिएशन—विश्व-विद्यालयों के लिए वित्तीय प्रक्रिया की संहिता तैयार करने में सहायता देने के लिए समिति ।	श्री आर० के० खन्ना और श्री वी० राजारमन ।

दी इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैण्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1975 तक के लिए बैलेन्स शीट

निधि और देयताएं			31-3-1975		13-3-1974
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
I आरक्षित पूंजी		48,47,075		44,45,736	
शेष : 1-4-1974					
जोड़ : (क) प्रवेश शुल्क	3,05,222			4,01,339	
(ख) परिसम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ	4,77,062	7,82,284			
II सामान्य आरक्षित			56,29,359		48,47,075
शेष : 1-4-1974	5,83,159			9,14,432	
घटायें : पिछले वर्षों के संबंध में समंजन	(1,10,592)				
घटायें : आय और व्यय लेखे में घाटा		4,72,567			
		(10,52,469)		(3,31,273)	
III कोष			(5,79,902)		5,83,159
(क) अनुसंधान कोष			50,49,457		54,30,234
शेष 1-4-74		5,85,905		5,85,905	

निधि और देयताएं			31-3-1975		13-3-1974
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
(ख) पदक और पुरस्कार कोष		5,85,905		5,85,905	
शेष	85,413				
अतिरिक्त	36,200				
जोड़ें : प्राप्त आय	7,491				
	1,29,104				
घटायें : प्रदान किये गये पदक और पुरस्कार की लागत	6,633				
(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान लेखा		1,22,471		85,413	
		60,001		—	
IV देयताएं			7,68,377		6,71,318
(क) अग्रिम प्राप्त शुल्क		18,15,165		14,93,378	
(ख) लेनदार व्यय के लिए		7,88,331		5,35,165	
(ग) अन्य देयताएं		6,73,151		6,51,441	
			32,76,647		26,79,984
योग			90,94,481		87,81,536

सम्पत्ति एवं परिसम्पत्ति			39,81,514		41,89,376
I. अचल सम्पत्ति					
(लागत कम करें मूल्य ह्रास)					
अनुसूची 'क'					
II. निवेश (लागत पर)					
(क) बैंक में सावधि जमा		15,07,445			
(ख) सरकारी प्रतिभूत		2,506			
III. उद्गृष्ट निवेश			15,09,951		14,87,338
(क) अनुसंधान कोष (बैंक में सावधि जमा)		5,85,905		5,85,905	
(ख) पदक एवं पुरस्कार कोष					
(क) बैंक में सावधि जमा	39,200				
(ख) सरकारी प्रतिभूत और डाकघर राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट	76,524				
	1,15,721				
नकद और बैंक शेष	6,747	1,22,471		85,413	
			7,08,376		6,71,318

निधि और देयताएं			31-3-1975		31-3-1974
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
IV. चालू परिसम्पत्तियां					
(क) प्रकाशन अध्ययन सामग्री और स्टेशनरी (लागत पर)		6,44,706		3,89,337	
(ख) प्राप्तव्य राशि . . .		6,36,270		5,27,804	
(ग) अग्रिम और पूर्व भुगतान . .		7,69,732		6,59,997	
(घ) नकद और बैंक शेष . .		8,43,932		8,56,366	
			28,94,640		24,33,504
योग . .			90,94,481		87,81,536

नोट — 1 इन विवरणों में क्षेत्रीय कौंसिलों, कुछ स्टूडेन्ट्स एसोसियेशनों और शाखाओं जिनसे लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के लेखे सम्मिलित नहीं हैं। तदनुसार, रु० 47,872/- (शुल्क और उनको मिलने वाली ग्रान्ट-इन-एड) की राशि व्यय लेखे के व्यय की ओर बिना कोई नियत किये और रु० 25,860- की निवल राशि, जो उपर्युक्त क्षेत्रीय कौंसिल, स्टूडेंटस एसोसियेशनों और शाखाओं से सम्बन्धित है, को बैलेंस शीट के ओर "अन्य देयताओं" में सम्मिलित कर लिया गया है।

आडिटरों की रिपोर्ट

हमने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की 31 मार्च 1975 तक की बलेन्स शीट और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखें के संलग्नों, जिन में क्षेत्रीय कौंसिलों और स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन और शाखाओं की परिसम्पत्तियों और देयताओं को सम्मिलित किया गया है, का आडिट किया है और निम्न प्रकार रिपोर्ट देते हैं :—

(1) हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ आडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे ।

(2) बैलेन्स शीट और आय और व्यय लेखे जो इस रिपोर्ट में लिए गये हैं, वह लेखे की पुस्तकों के अनुरूप हैं ।

(3) हमारी राय में लेखे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1949 की आवश्यकताओं के अनुसार रखे गये हैं :

(4) हमारी राय और पूर्ण सूचनाओं और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार विवरण और अनुसूचियां जो उनके साथ हैं, सही और उचित स्थिति प्रकट करते हैं —

(1) 31 मार्च, 1975 तक की बैलेन्स शीट और कार्य के मामले में, और

(2) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखें के घाटे के मामले में ।

पी० आर० मेहरा, एम० आर० वेंकटरामन,

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ।

2 दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया अनमानित दर रु० 4,000/–

पी० एस० गोपालकृष्णन, सचिव ।

पी० एम० नारियलवाला, अध्यक्ष ।

ए० आर० सरकार, सहायक सचिव ।

बी० आर० महेश्वरी, उपाध्यक्ष ।

नई दिल्ली,

25 सितम्बर, 1975 ।

दि इंस्टीट्यूट आफ़ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ़ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1975 तक की अचल सम्पत्तियां

परिशिष्ट "क"

बैलेन्स शीट का अनुलग्नक

परिसम्पत्तियां	लागत 31-3-74 रु०	वर्ष के दौरान जोड़ रु०	वर्ष के दौरान कटौती रु०	लागत 31-3-75 तक रु०	31-3-75 को मूल्य ह्रास रु०	31-3-75 तक का किताबी मूल्य रु०
1. भूमि और भवन						
1.1 पट्टारहित भूमि						
मद्रास . .	..	*1,12,500	..	1,12,500	..	1,12,500
कलकत्ता . .	..	1,14,404	..	1,14,404	..	1,14,404
1.2 पट्टे पर भूमि						
नई दिल्ली . .	2,159	..	..	2,159	..	2,159
1.3 भवन (भूमि सहित)						
बम्बई . .	4,51,178	..	..	4,51,178	1,22,100	3,29,078
कलकत्ता . .	3,88,840	..	*3,88,840	..	..	..
1.4 भवन						
नई दिल्ली . .	18,71,519	..	..	18,71,519	3,36,930	15,34,589
मद्रास . .	4,97,3669	..	1,12,500	3,84,869	1,26,379	2,58,490
कानपुर . . (निर्माणाधीन)	1,00,468	..	..	1,00,468	2,513	97,955

2. विद्युत् उत्थापन फिटिंग आदि						
2.1 नई दिल्ली	5,67,465	15,128	..	5,82,593	2,13,784	3,68,809
2.2 क्षेत्रीय कौंसिलें, स्टूडेंट एसोसिएशन, उनकी शाखाए एवं अन्य	19,840	551		20,391	10,782	9,609
3. एयर कन्डीशनिंग उत्थापन						
3.1 नई दिल्ली	5,17,041	8,884	..	5,25,925	3,02,223	2,23,702
4. लिफ्ट						
4.1 नई दिल्ली .	1,57,883	..	..	1,57,883	54,203	1,03,680
5. फर्नीचर और फिक्सचर्स						
5.1 नई दिल्ली .	4,12,714	32,118	..	4,44,832	1,96,596	2,48,236
5.2 मद्रास . .	..	6,302	..	6,302	299	6,003
5.3 क्षेत्रीय कौंसिलें, स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन्स, उनकी शाखायें और अन्य . .	2,85,681	28,028	..	3,13,709	1,28,098	1,85,611
6. कार्यालय उपकरण						
6.1 नई दिल्ली . .	1,85,052	68,881	..	2,53,933	1,24,855	1,29,078
6.2 मद्रास . . .	..	6,810	..	6,810	1,021	5,789

परिसम्पत्तियां	लागत 31-3-74 रु०	वर्ष के दौरान जोड़ रु०	वर्ष के दौरान कटौती रु०	लागत 31-3-75 तक रु०	31-3-75 को मूल्य ह्रास रु०	31-3-75 तक का किताबी मूल्य रु०
6.3 क्षेत्रीय कौंसिल, स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन्स, उनकी शाखाएं और अन्य . .	1,09,527	1,086	..	1,10,613	70,199	40,414
7. मोटर कार						
7.1 नई दिल्ली . .	23,580	..	..	23,580	8,489	15,091
8. लाइब्रेरी पुस्तकें						
8.1 नई दिल्ली . .	2,87,781	40,599	..	3,28,380	2,47,028	81,352
8.2 क्षेत्रीय कौंसिल, स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन, उनकी शाखाएं और अन्य . .	3,08,155	45,721	..	3,53,876	2,38,911	1,14,965
	61,86,252	4,81,012	5,01,340	61,65,924	21,84,410	39,81,514

*ट्रान्सफर्स सहित रु० 2,26,904

एस० आर० सिरकार, सहायक सचिव ।

पी० एस० गोपालाकृष्णन, सचिव ।

बी०आर० महेश्वरी, उपाध्यक्ष ।

पी० एम० नारियलवाला, अध्यक्ष ।

पी० आर० मेहरा,

एम० आर० वेंक्टारमन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ।

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया

31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष का आय और व्यय लेखा

	1974–75	1973–74
	रु०	रु०
I. आय		
(क) सदस्य		
(परिशिष्ट क–1 के अनुसार) . .	17,25,389	15,69,235
(ख) विद्यार्थी		
(परिशिष्ट क–1 के अनुसार) . .	37,30,926	32,22,856
(ग) विभिन्न	54,56,315	47,82,091
सम्पत्ति से आय . . .	31,835	30,710
सामान्य कोष पर ब्याज निवेश . .	64,168	46,035
कुल आय . . .	55,52,318	48,66,836
वर्ष के लिए घाटा . . .	10,52,469	3,31,273
योग	66,04,787	51,98,109
योग	66,04,787	51,98,109

पी० एस० गोपालकृष्णन, सचिव ।

पी० एम० नारियलवाला, अध्यक्ष ।

उसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एस० आर० सिरकार, सहायक सचिव ।

बी० आर० महेश्वरी, उपाध्यक्ष ।

पी० आर० मेहरा, एम० आर० वेंकटारमन, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ।

परिशिष्ट क/1

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय लेखे का अनुलग्नक

क्रमांक	लेखों के शीर्षक	योग		सदस्य		विद्यार्थी	
		1974–75 रु०	1973–74 रु०	1974–75 रु०	1973–74 रु०	1974–75 रु०	1973–74 रु०
	1	2	3	4	5	6	7
I.	आय						
1	प्रवेश शुल्क	58,700	—	58,700	—	—	—
2	सदस्यता शुल्क	12,22,966	11,24,410	12,22,966	11,24,410	—	—
3	पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुल्क	11,500	11,300	11,500	11,300	—	—
4	पंजीकरण शुल्क	1,89,550	2,66,030	—	—	1,89,550	2,66,030
5	स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन शुल्क	33,470	60,550	—	—	33,470	60,550
6	कोचिंग बोर्ड शुल्क	16,84,051	14,58,643	—	—	16,84,051	14,58,643
7	परीक्षा शुल्क	15,11,610	11,90,350	—	—	15,11,610	11,90,350
8	जंरनल	2,55,990	2,25,428	2,55,990	2,25,428	—	—
9	प्रकाशन	2,55,155	1,83,865	70,027	46,734	1,85,128	1,37,131
10	निवेशों पर ब्याज	1,58,103	95,366	72,293	43,385	85,810	51,981
11	चुनावों के लिए नामांकन शुल्क	—	33,700	—	33,700	—	—
12	अन्य	75,220	1,32,449	33,913	48,278	41,307	48,171
13	योग	54,56,315	47,82,091	17,25,389	15,69,235	37,30,926	32,12,856

	II व्यय						
1	वेतन और कर्मचारी व्यय	20,93,218	17,11,152	8,71,441	7,54,162	12,21,777	9,56,990
2	ग्रेज्युटी के लिए प्रीमियम	53,612	27,861	20,909	12,711	32,703	15,150
3	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	4,50,200	1,47,996	1,43,950	85,487	3,06,250	62,509
4	जरनल	3,21,697	2,09,161	1,86,154	1,68,881	1,35,543	40,280
5	प्रकाशन	4,13,275	3,13,071	4,13,275	3,13,071	—	—
6	परीक्षा	9,54,110	6,77,406	—	—	9,54,110	6,77,406
7	कोचिंग	7,74,391	7,81,211	—	—	7,74,391	7,81,211
8	पोस्टल, टेलिग्राम और टेलिफ़ोन	2,17,520	1,67,714	1,00,114	64,952	1,17,406	1,02,762
9	दर एवं कर	2,02,457	2,02,970	95,361	79,055	1,07,096	1,23,915
10	मरम्मत और रखरखाव	92,116	72,039	45,768	27,299	46,348	44,740
11	मूल्य ह्रास	2,92,008	2,93,707	1,38,671	1,11,305	1,53,337	1,82,402
12	यात्रा व्यय						
	(क) कौंसिल सदस्य	2,67,030	1,75,326	1,68,579	1,17,401	98,451	57,925
	(ख) कर्मचारी तथा अन्य	87,069	59,532	36,394	20,405	50,675	39,127
13	लाइब्रेरी	21,117	12,128	21,117	12,128	—	—
14	विदेशी सम्बन्ध	18,926	20,008	18,926	20,008	—	—

	1	2	3	3	1	6	7
15	सेमिनार आदि (निवल)	23,836	24,018	22,248	24,018	1,578	—
16	रजत जयन्ती (कामनवैल्थ कांफ्रेंस सहित) (निबल)	47,412	—	44,339	—	3,073	—
17	व्यावसायिक शुल्क	32,802	62,696	20,827	33,039	11,975	29,657
18	चुनाव	—	95,357	—	95,357	—	—
19	अन्य	2,42,001	1,44,756	1,13,470	50,007	1,28,531	94,749
20	योग	66,04,787	51,98,109	24,61,543	19,89,286	41,43,244	32,08,823

एस० आर० सिरकार, सहायक सचिव । पी० एस० गोपालकृष्णन, सचिव । बी० आर० महेश्वरी, उपाध्यक्ष । पी० एम० नारियलवाला, अध्यक्ष । पी० आर० मेहरा, एम० आर० वकटारमन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ।

पी० एस० गोपालकृष्णन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975